मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" सेन रोड न.1, चिमार मार्के (ईस्ट), भोपाल 462011

फोन न. 0 755-2573801-2 Fax: +91-755-2550493 Web :- www.esb.mp.gov.in

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी. टेक्नीशियन पदों की भरती परीक्षा - 2025

परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 28-07-2025	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 11-08-2025
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 28-07-2025	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 16-08-2025
संभावित परीक्षा दिनांक व दिन	27 सितंबर 2025, शनिवार से प्रारंभ

आवेदन का परीक्षा शुल्क		
सीधी भरती के पदों हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रू. 500/- प्रति प्रश्न-पत्र
	केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग, एस.सी. दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये	रू. 250/- प्रति प्रश्न-पत्र
केवल सीधी भरती - बैकलॉग भर्ती हेतु		कोई शुल्क नहीं

ऑनलाईन आवेदन - विभागीय के माध्यम से ऑनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु उनकी ऑनलाईन का रोकड़ शुल्क रूपये 60/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रोकड़ी सिटीजन चुकता के माध्यम से जमा कर भरने भरने पर रोकड़ शुल्क 20/- रु. देय होगा।

ऑनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

संभावित परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
27 सितंबर 2025, शनिवार से प्रारंभ	पाली	प्रातः 08:30 से 10:00 बजे तक	प्रातः 10:20 से 10:30 बजे तक (10 मिनिट)	प्रातः 10:30 से 12:30 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से 02:30 बजे तक	दोपहर 02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनिट)	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यू.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
2. कोई भ्रष्ट आयोजित परीक्षाओं में मूल सिटीजन चुकता पत्र मान्य अनिवार्य होगा। मूल सिटीजन चुकता पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता चुकता पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक की फोटोप्रति मान्य रहेगा है। मूल सिटीजन चुकता पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी को नियत पुस्तिका में उल्लिखित मूल अभिलेख के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/आधार कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नंबर/आधार UID की जानकारी प्रस्तुत अनिवार्य है।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान सघन मेटल डिटेक्टर उपयोग अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस जैसे मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर, लोग टेबल, रिमोट कार्ड एवं नकल करने इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
7. परिवर्तित आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही परिवर्तित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संरक्षित कर रखें, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. सभी अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में अंकित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
9. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक की मूल आईडी प्रूफ तथा परीक्षा कक्ष में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
10. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
11. आवेदन-पत्र भरते समय त्रुटियों के किसी भी प्रकार का परीक्षा मण्डल द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रारंभिक (Provisional) होगी। आवेदक यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेंगे कि निम्नानुसार आवेदित पद हेतु निर्धारित अभ्यर्थिता, आयु सीमा, शैक्षणिक व अन्य प्रस्तुत अर्हतायें आवेदित करता है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई किसी भी जानकारी का निर्धारण उसके मूल दस्तावेजों/सर्टिफिकेट से नहीं होने अथवा त्रुटिपूर्ण होने अथवा निर्धारणानुसार नहीं होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी।
12. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति अनुसूचित क्षेत्र बैगा, अबूझमाड़/बहुउद्देशीय एवं पारिधा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकादमिक वर्ष के लिये अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुये कलेक्टर्स के निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-2 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मण्डल को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को ही पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। मण्डल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" सेन रोड न.1, पिपलर पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

फोन नं. 0 755-2578801-2 Fax: +91-755-2550499 Web :- www.esb.mp.gov.in ई-मेल : E-Complain Id : Complain.esb@mp.gov.in

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक2/अति./से-2(भरती)/2025/674-वाम, दिनांक 09/06/2025 एवं पत्र क्रमांक2/अति./से-2(भरती)/2025/873, दिनांक 14/07/2025 के अनुसार :-

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी. टेक्नीशियन पदों की भरती परीक्षा - 2025

आयोजन के नियम एवं निर्देश

विषय-सूची

क्र.क्र.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1	1	संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के अन्तर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन पदों की भरती परीक्षा-2025 विभागीय नियम	03-13
2	2	रिक्त पदों की आरक्षण तालिका	14-18
3	3	म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के परीक्षा संचालन नियम	19-31
4	4	परीक्षा का पेपरवार पाठ्यक्रम	32-75
5	प्रारूप-1	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	76
6	प्रारूप-2	मध्य प्रदेश आदिम जनजाति समुदाय जैसे - बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यार्थियों हेतु आवेदन पत्र	77

अध्याय – 1

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के अन्तर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, कॉउन्सलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन पदों के नियमित पदों पर सीमित सीधी भरती हेतु चयन परीक्षा - 2025 हेतु विभागीय नियम

मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, तृतीय श्रेणी (अकार्यपालिक) सेवा भरती नियम 20 अक्टूबर 1989 के संशोधन नियम दिनांक 18 जुलाई 2024 एवं 26 मई 2025 की अनुसूची (2) एवं अनुसूची (3) तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 07-55/2021 /आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2022 के अनुसार संचारित किये गए आरक्षण रोस्टर अनुसार सीमित सीधी भरती के माध्यम से पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, कॉउन्सलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना प्रस्तावित है। इन पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से कराए जाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं :-

1. सामान्य :

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश में पैरामेडिकल संवर्ग के फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी. टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक पुरुष/महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं (अध्याय 2 अनुसार)। विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात् कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;

(ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के अंतर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, कॉउन्सलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन के नियमित पदों पर सीमित सीधी भरती हेतु चयन परीक्षा - 2025 में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ङ) "विभाग" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग;

(च) "संचालनालय" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य का लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय;

(छ) "लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश में पैरामेडिकल संवर्ग के फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन के नियमित पदों पर सीमित सीधी भरती हेतु चयन परीक्षा - 2025" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(ज) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के अंतर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, कॉउन्सलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन के नियमित पदों पर सीमित सीधी भरती हेतु चयन परीक्षा-2025 में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-35/चवीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1994 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ञ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;

(ठ) "पद" से अभिप्रेत है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के अंतर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, कॉउन्सलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन के नियमित पद;

(ड) "भरती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;

(ढ) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिनियमित तृतीय श्रेणी सेवा;

(ण) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(त) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(थ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(द) "मण्डल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल ;

3. लागू होना :-

(1) ये नियम मध्यप्रदेश राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में लागू होंगे।

(2) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

4. अर्हकारी अंक -

(1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। म.प्र.वि. के आदेश क्रमांक पी-3-6/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, किंतु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई सूची में से 'मेरिट' के आधार पर किया जावेगा।

(2) इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -

(क) विभाग रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है।

(ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग को भेज नहीं दिया जाता है,

(ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो, और

(घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

5. विस्तार -

राज्य का लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेगा जिसमें पश्चात उत्तरवर्ती भविष्य में सूचित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।

6. सेवा -

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी सेवा भरती नियम (अनिरिक्षीय) के अंतर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, कॉउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन के नियमित पदों के लिए नीचे दी गई तालिका अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी में दिए, अर्थात् -

सेवा का नाम	पदनाम	श्रेणी
मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी (अनिरिक्षीय) सेवा	पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, कॉउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन	तृतीय श्रेणी

7. परीक्षा का आयोजन -

ऊपर कण्डिका 6 में उल्लिखित सेवा के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के लिए मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, कॉउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन पद के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।

पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, कॉउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन के नियमित पदों पर सीमित सीधी भरती हेतु चयन परीक्षा - 2025 योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् -

ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिये तालिका

क्र. क्र.	परीक्षा का नाम	प्रश्न पत्र की संख्या	कुल अंक	पाठ्यक्रम का विवरण	अंक
1	पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, कॉउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन के सीधी भरती	1	100	(अ) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि	25
				(ब) टेक्नीक ट्रेड पर आधारित प्रश्न	75

8. पात्रता की शर्तें तथा शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव :-

8.1 अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। अर्थात् -

(क) **फिजियोथेरेपिस्ट सीधी भरती हेतु - न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -**

(1) भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि (बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी) (बी.पी.टी.)

(2) मध्यप्रदेश सह चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन।

(ख) **कॉउन्सलर सीधी भरती हेतु - न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -**

(1) मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एम.एस.डब्लू.) एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एण्ड फैमिली थेरेपी (पी.जी.डी.सी.एफ.टी.)।

(ग) **फार्मासिस्ट ग्रेड-2 सीधी भरती हेतु - न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -**

(1) जीव विज्ञान, रसायन तथा भौतिकी विषय के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा या म.प्र.शासन द्वारामान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा संचा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मेसी) में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) अथवा औषध निर्माण (फार्मेसी) में बी-फार्मा डिग्री अथवा औषध निर्माण (फार्मेसी) में एम-फार्मा डिग्री।

(3) मध्यप्रदेश फार्मेसी कौंसिल में फेलवज (फार्मासिस्ट) के रूप में जीवित पंजीयन।

(घ) **नेत्र सहायक सीधी भरती हेतु - न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-**

1. जीव विज्ञान, रसायन तथा भौतिकी विषय के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से नेत्र सहायक (आप्थेल्मिक असिस्टेंट) अथवा दृष्टिमिति तथा अपवर्तन (आप्टोमेट्री एण्ड रिफ्रेक्शन) में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।
3. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन।

(ङ) **ओ.टी.टेक्नीशियन सीधी भरती हेतु - न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-**

1. जीव विज्ञान, रसायन तथा भौतिकी विषय के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था से ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन का एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।
3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन।

8.2 यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थिता की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता समाप्त हो जाएगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।

8.3 **आयु सीमा -**

(अ) इन समस्त पदों के लिए जिनके लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश के अंतर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन निर्धारित पदों पर सीमित सीधी भरती हेतु अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु- सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग, विभागों/निगमों/मण्डलों, आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/बोर्डों में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के चालू वर्ष की 1 जनवरी अर्थात 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी।

(ब) म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 73/104/2022/आ.प्र./2021, दिनांक 02.02.2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लू.एस.) के अभ्यार्थियों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है।

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए इस परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (संविदाकर्मी एवं नियम क्रमांक 13 में दिये गये वर्गों को छोड़कर) से अधिक नहीं होगी।

8.4 (1)मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

(i) अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2025 से निर्धारित की जावेगी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र. सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एवं पत्र क्र./सी. 3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016 में संशोधित आदेश क्र. सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी 3-8/2016/1-3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है:-

क्र.	भरती का वर्गीकरण	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भरती के भरे जाने वाले पदों के लिए	18 से 40
2	मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनु.जा., अनु. जनजा. अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/ निगम /मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/ निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए	18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट :- (i) सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिये आवश्यक वैध प्रमाण पत्र म.प्र.शासन से मान्य/ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

8.5 (2) मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पुराना नाम आदिम जाति हरिजन) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सदस्यों को सामान्य प्रशासन विभाग के शासन क्र. सी- 3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के शासन क्र. सी-3-18-85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(iii) किसी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष (पंजियकर्मी एवं नियम क्रमांक 13 में उल्लेखित वर्गों को छोड़कर) से अधिक नहीं होगी।

8.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

(i) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक चार वर्ष की अवधि मात्र ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छंटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(ii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सशस्त्र सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता घोषित (इकाई) की सिफारिशों के परिणामस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति रिआयतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भरती किया गया हो, और
(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
(ख) भरती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
(3) नवाब सिविल यूनिट (हैदराबाद) के भूतपूर्व कर्मचारी
(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।
(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।
(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वतंत्रकारों के अर्थात् उन स्वतंत्रकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्र. 3345-4005-सोलह तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा. ज. सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक कथित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय थल सेना में नियुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय थल सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप : (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रिआयतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात ऐसा से त्याग पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अवधि पद से छंटनी हो जाये तो वे नियुक्ति पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ङ) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. 524/575/2015/आठ/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है -

"आयु सीमा के संबंध में विशेष उपबंध राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो अब के पश्चात् कालों में लगातार कम से कम छह माह तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, विहित अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।

9. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना -

(1) अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र ऑनलाईन पद्धति से भरेंगे, किसी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और पद के लिये भी अपना अधिमान चिन्हित कर सकेगा।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31 मई 2018 में प्रकाशित नियम 4 (ख) अंतिम जनजातियों के लिये विशेष उपबन्ध अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, गिन्ध, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डोरी, अनूपपुर, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है, और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भरती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस नियम के तहत ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त

पद की निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करते हों, वे संबंधित विभाग (संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, जे.पी. अस्पताल चिकित्सालय परिसर, न्यू भवन, भोपाल) में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऐसे पात्र आवेदकों के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही/प्रक्रिया संचालनालय द्वारा संपादित की जायेगी। उपरानुसार चयन किये गये उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विज्ञापित पदों में समायोजित की जायेगी।

10. मण्डल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना

(1) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त परसेंटाईल के आधार पर आवेदित पद अनुसार प्रावीण्यता/प्रतीक्षा सूची जारी करेगा।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जायेगा।

(3) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित (ओपन) पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।

(4) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त छूटी सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम हॉरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे।

(5) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से नि.अक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्टिकल श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्ग वार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से नि.अक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी क्रमवार/मैरिट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।

(6) समान परसेंटाईल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की अपनी सहवरिष्ठता पहले अनुक्रमिक अंक, फिर आयु (जन्मतिथि) के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF पर समान परसेंटाईल/अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

11. नियुक्ति के लिए मण्डल की अनुशंसाएँ -

(1) मण्डल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 11 के अनुसार पूर्व रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।

(2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएं पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा। नियमानुसार मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।

(3) पात्र अभ्यर्थी को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।

12. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि -

(1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के (तब तक विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या) 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी। ऐसी भरती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी।

(2) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मण्डल की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदान किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत मण्डल के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित किया गया है।

13. आपातकालीन सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों की प्राथमिकता -

1. सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022, सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गों को आपातकालीन सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम एवं इनके साथ ही जारी क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27

फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं शाखा क्रमांक एफ सी-3-31-90 -49-3 दिनांक सितम्बर, 1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

01	युद्ध के मोर्चे-पार्श्व वर्गों में अपने कुल सैनिकों को	ए-1
02	युद्ध के मोर्चे-पार्श्व वर्गों में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
03	मुक्त सैनिकों (Demobilised Defence forces Personnel- Exservicemen &other rank) को	ए-3
04	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
05	अतिशेष कर्मचारियों को	सी
06	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	सी-1
07	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	सी-2
08	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र	डी-1
09	वर्मा एवं चीनोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -	डी-2

2. कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों की सूची में राजस्व विभाग के अन्तर्गत आयोजित पेशाब राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।

3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधारण राजपत्र क्रमांक सी 3-10/ 2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत अर्मी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 अंतर्गत म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।

4. कंडिका 3 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि-

4.1 कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के पारस्परिक प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाता है।

4.2 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।

4.3 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

14. प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया-

(1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक अर्हताओं की उपाधि/पदोपाधि/प्रमाणपत्रों/ अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेगा।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करना लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का दायित्व होगा। नियमानुसार मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।

(3) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम पांच वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण पत्र।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्लू. एस. का प्रमाण पत्र।

(5) अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज विभाग की मांग अनुसार।

15. आरक्षण -

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित संवर्गवार (वर्टीकल) आरक्षण लागू होगा

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	-	27 प्रतिशत (मा. न्यायालय के निर्णयाधीन)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

सम्पूर्ण एवं अधिक जानकारी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की Website http://gad.mp.gov.in को देखें।

(2) क्षैतिज आरक्षण -

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 304 दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :-

" किन्हीं सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भरती के प्रक्रम पर समस्त पदों (जन विभाग को छोड़कर) का पैंतीस (35) प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा उक्त आरक्षण क्षैतिज और प्रभावकार (होरिजेन्टल एण्ड अन्डाईलेट-वाइज) होगा।"

(ख) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 8-2/2013/आ.प्र./एक दिनांक 04.01.2024 एवं क्र. 7-19/2019/आ.प्र./एक दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.1 के बहुत दिव्यांगजन हेतु 4 श्रेणियों में 1.5 - 1.5 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे।

(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

(3) संविदा कर्मियों हेतु नियम -

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के संदर्भ में जारी आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते है, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-

3.1 प्रत्येक विभाग के भरती सीधी भरती के नियमित पद के समकक्ष संविदा के पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भरती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनों में से जो कम हो),संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।

3.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-

3.2.1 सीधी भरती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र तथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

3.2.2 सेवा-नियमों में प्रस्तावित नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वांछित है, उन्हें यह पूर्ण करता हो।

3.3 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदापर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।

3.4 अगर किसी आउटसोर्स सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में छुटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।

3.5 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा रिक्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाए।

3.6 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

3.7 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भरती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम अंतर्योग अंक निर्धारित किए जाएंगे।

3.8 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह कितने वर्ष कार्यरत

रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भरती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.9 संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित वे पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जायेंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी/कर्मचारी अंतिम चरण से चयनित अथवा उत्तीर्ण नहीं हो पाते। संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फारवर्ड नहीं किए जाएंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी-5-2/2018/1-3 (पार्ट चार्ट), दिनांक 18.10.2022 के अनुसार संविदा अधिकारी/कर्मचारी हेतु आरक्षित पदों पर डीरिजर्वेशन आरक्षण लागू होता है। अतः पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यार्थियों से भरा जावेगा।

3.10 नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस. के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3.11 विभागों को इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भरती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। यहाँ आवश्यक हो वहाँ भरती में प्रतिबंध से आवश्यक छूट भी प्राप्त की जावेगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा।

(4) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई.डब्लू.एस.) के लिए सीधी भरती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

(5) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अभ्यर्थता के प्रावधान में ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी बोर्ड द्वारा नहीं।

(ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

(घ) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भरती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तदनुसार लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।

(6) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक दिनांक 10 फरवरी 1997 अनुसार यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी आरक्षित प्रवर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्ग महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रेषित (carry forward) नहीं किये जायेंगे, और ऐसे रिक्त पद को दूसरे आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिला से भी नहीं भरा जायेगा, ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित है।

16. निरर्हता -

(1) मण्डल अभ्यार्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मण्डल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।

(2) (क) कोई पुरुष अभ्यार्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण मंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यार्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(ख) कोई महिला अभ्यार्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से मंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र

नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

17. आवेदन शुल्क - आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्लू.एस. तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को लागू है, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्लू.एस. और दिव्यांगजन घोषित किया गया है।

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, ई.डब्लू.एस. तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा।

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमीलेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

18. पात्रता भत्ता -

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

(2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषतः आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी संबंधित अभ्यर्थी संलग्न प्रारूप-1 में अपना बैंक खाता विवरण, परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न कर संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे।

19. परीक्षा केन्द्र - परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण मण्डल के मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया गया जायेगा। प्रारम्भिक रूप से परीक्षा केन्द्रों की सूची अध्याय-3 के खंड-ब में दी गई है।

20. अभ्यार्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति -

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करे, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो।

21. आवेदनों का रद्द किया जाना -

ऐसे ऑनलाइन आवेदन जो अपूर्ण हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

22. अभ्यार्थी द्वारा आरक्षण का दावा-

(1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यार्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यार्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और यह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यार्थी का होगा।

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उच्च कार्यालय द्वारा उनकी अंतिम उपस्थिति वर्ष की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें परमार उद्धृत करने की तारीख तथा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे निदेशालय इकाई द्वारा अतिशेष घोषित करने की अनुशंसा

के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

23. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार -

किसी अभ्यार्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसमें

(क) आनलाईन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार कदाचरण अभिलाभ किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है, या

(ख) प्रतिरूपण किया हो, या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो या

(घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों, या

(ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो, या

(च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो, या (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो, या

(ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अवीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो, या

(झ) प्रवेश पत्र में अभ्यार्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अवीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुर्व्यवहार किया हो जो अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

(ट) अन्य कोई आवश्यक कारण, जो मण्डल को उचित प्रतीत होता हो।

24. नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है।

(ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भरती नियम 1961 के लागू नियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र. सिविल सेवा भरती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यार्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/खेलकूद के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

25. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति राशि का भुगतान किया जावेगा।

26. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/पृक्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जाएगा।

(आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. वंदना खरे)
अवर सचिव
मंत्रालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश

अध्याय - 2

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के अंतर्गत

पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, लैब सहायक एवं ओ.टी.टेक्नीशियन के नियमित अकार्यपालिक पदों पर सीमित सीधी भरती एवं खुली सीधी भरती हेतु रिक्त पदों का विवरण

पद कोड 01 - फिजियोथेरेपिस्ट

कुल 41 पद (अकार्यपालिक)

पदवार, श्रेणीवार व संवर्गवार कुल रिक्त पदों की आरक्षण तालिका (अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण अनुसार) :-

क्र.क्र.	श्रेणी	पुरुष		पुरुषार्थ वैनिक		महिलाकर्मी		योग	टिप्पणी
		सीधा	महिला	सीधा	महिला	सीधा	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	3	1	1	0	4	2	11	टिप्पणीकर्ता की कुल 02 रिक्तियों में से 00=VH, 01=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का दिव्यांगजन इन पदों के लिए उपयोग होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा, यदि उस अनेक श्रेणी के बिना भर्ती/चयन की रिक्तियों में समाहित है
2.	ई.डब्लू.एस.	1	1	0	0	1	1	4	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	1	1	1	0	3	1	7	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	2	1	1	0	3	1	8	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	3	1	1	0	4	2	11	
	योग	10	6	4	0	16	7	41	

उपरोक्त पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

क्र.क्र.	श्रेणी	पुरुष		पुरुषार्थ वैनिक		महिलाकर्मी		योग	टिप्पणी
		सीधा	महिला	सीधा	महिला	सीधा	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	3	1	1	0	4	2	11	टिप्पणीकर्ता की कुल 02 रिक्तियों में से 00=VH, 01=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का दिव्यांगजन इन पदों के लिए उपयोग होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा, यदि उस अनेक श्रेणी के बिना भर्ती/चयन की रिक्तियों में समाहित है
2.	ई.डब्लू.एस.	1	1	0	0	1	1	4	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	1	1	1	0	3	1	7	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	2	1	1	0	3	1	8	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2	0	1	0	2	1	06	
	योग	09	04	04	0	13	06	36	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/मानसिक आरक्षण तालिका (मा. उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन)

क्र.क्र.	श्रेणी	पुरुष		पुरुषार्थ वैनिक		महिलाकर्मी		योग	टिप्पणी
		सीधा	महिला	सीधा	महिला	सीधा	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	1	1	0	0	2	1	06	
1.	अनारक्षित (UR) (मानसिक)	1	1	0	0	2	1	05	

वेतनमान - 36200-114800 (लेवल 9)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

(1) मॉडिकल चिकित्सा में स्नातक उपाधि (बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी) (बी.पी.टी.)

(2) मध्यप्रदेश सह चिकित्सा परिषद में अनिवार्य पंजीयन।

नोट:- 1. उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए पदों के आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/एक/3, दिनांक 22 जुलाई 2023 में दिये गए निर्देशानुसार पात्रता के नियम लागू होंगे।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

पद कोड 02 - काउंसलर

कुल 10 पद (अकार्यपालिक)

पदवार, वेतनवार व वर्गवार कुल रिक्त पदों की आरक्षण तालिका (अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण अनुसार) :-

क्र.सं.	श्रेणी	नियत		भूतपूर्व सैनिक		अंशिकअक्षमता		योग	टिप्पणी
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	1	0	0	0	1	1	3	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=HH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का दिव्यांगजन इन पदों के लिए उपयोगित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा, यदि एक अनेक श्रेणी के दिव्यांगजन की रिक्तियों में अन्तर्गत है
2.	ई.डब्लू.एस.	1	0	0	0	0	0	1	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	1	0	0	0	1	0	2	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	1	0	0	0	1	0	2	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1	0	0	0	1	0	2	
	योग	5	0	0	0	4	1	10	

उपरोक्त पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मूल आरक्षण तालिका

क्र.सं.	श्रेणी	नियत		भूतपूर्व सैनिक		अंशिकअक्षमता		योग	टिप्पणी
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	1	0	0	0	1	1	3	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=HH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का दिव्यांगजन इन पदों के लिए उपयोगित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा, यदि एक अनेक श्रेणी के दिव्यांगजन की रिक्तियों में अन्तर्गत है
2.	ई.डब्लू.एस.	1	0	0	0	0	0	1	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	1	0	0	0	1	0	2	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	1	0	0	0	1	0	2	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1	0	0	0	0	0	1	
	योग	5	0	0	0	3	1	09	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रासंगिक/आनुषंगिक आरक्षण तालिका (मा. उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन)

क्र.सं.	श्रेणी	नियत		भूतपूर्व सैनिक		अंशिकअक्षमता		योग	टिप्पणी
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रासंगिक)	0	0	0	0	1	0	01	
1.	अनारक्षित (UR) (आनुषंगिक)	0	0	0	0	1	0	01	

वेतनमान - 25300-80500 (लेवल 6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

(1) मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एम.एस.डब्लू.) एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आउटसलिंग एण्ड फैमिली थेरेपी (पी.जी.डी.सी.एफ.टी.)।

नोट:- 1. उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए पदों के आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/एक-3, दिनांक 22 जुलाई 2023 में दिये गए निर्देशानुसार संविदा के नियम लागू होंगे।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

पद कोड 03 - फार्मासिस्ट ग्रेड-2
कुल 313 पद (अकार्मपालिक)

पदवार, श्रेणीवार व संवर्गवार कुल रिक्त पदों की आरक्षण तालिका (अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण अनुसार) :-

क्र.क्र.	श्रेणी	सिधा		पूर्वपूर्व सैनिक		अंशिकालीन		योग	विभाग
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	21	12	6	3	23	16	86	विभागवार की कुल 19 रिक्तियों में से 05-VH, 06-Hn, 05-LD & 04-MD विभागवार के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का विभागवार इन पदों के लिए उपलब्ध होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा, यदि उस श्रेणी के बिना कार्यालयवार की रिक्तियों में समाहित है
2.	ई.डब्लू.एस.	8	4	2	1	10	6	31	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	13	7	3	2	16	9	50	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	16	9	4	2	21	11	63	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	22	12	6	3	27	16	84	
	योग	80	44	23	11	102	66	313	

उपरोक्त पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मूल आरक्षण तालिका

क्र.क्र.	श्रेणी	सिधा		पूर्वपूर्व सैनिक		अंशिकालीन		योग	विभाग
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	21	12	6	3	23	16	86	विभागवार की कुल 19 रिक्तियों में से 05-VH, 06-Hn, 05-LD & 04-MD विभागवार के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का विभागवार इन पदों के लिए उपलब्ध होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा, यदि उस श्रेणी के बिना कार्यालयवार की रिक्तियों में समाहित है
2.	ई.डब्लू.एस.	8	4	2	1	10	6	31	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	13	7	3	2	16	9	50	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	16	9	4	2	21	11	63	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	11	6	3	1	14	8	43	
	योग	69	38	18	09	89	49	272	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिकाकालपालिक आरक्षण तालिका (मा. उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन)

क्र.क्र.	श्रेणी	सिधा		पूर्वपूर्व सैनिक		अंशिकालीन		योग	विभाग
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	11	6	2	2	13	7	41	
1.	अनारक्षित (UR) (प्रावधिक)	11	6	2	2	13	7	41	

वेतनमान - 25300-80500 (लेवल 6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

(1) जीव विज्ञान, रसायन तथा भौतिकी विषय के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा या म.प्र.शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा चलाये अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मेसी) में फार्मेसी डिप्लोमा (डिप्लोमा) अथवा औषध निर्माण (फार्मेसी) में बी-फार्मा उपाधि (डिग्री) अथवा औषध निर्माण (फार्मेसी) में एम-फार्मा उपाधि (डिग्री)।

(3) मध्यप्रदेश फार्मेसी कौंसिल में रजिस्ट्रेड (फार्मासिस्ट) के रूप में जीवित पंजीयन।

नोट:- 1. उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए पदों के आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/एक-3, दिनांक 22 जुलाई 2023 में दिये गए निर्देशानुसार संविदा के नियम लागू होंगे।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

पद कोड 04 - नेत्र सहायक
कुल 100 पद (अकार्यपालिक)

पदवार, श्रेणीवार व संवर्गवार कुल रिक्त पदों की आरक्षण तालिका (अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण अनुसार) :-

क्र.सं.	श्रेणी	पुरुष		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांगजन		योग	विशेषज्ञ
		सीधा	महिला	सीधा	महिला	सीधा	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	6	4	2	1	3	6	27	दिव्यांगजनों की कुल 06 रिक्तियों में से 01=VH, 02=EH, 02=LD & 01=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का दिव्यांगजन इन वर्गों के लिए उपलब्ध होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा, शेष पद उपरोक्त श्रेणी के बिना वर्गीकरण की रिक्तियों में समाहित है
2.	ई.डब्लू.एस.	3	1	1	0	3	2	10	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	4	2	1	1	6	3	16	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	6	3	1	1	6	4	20	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	6	4	2	1	9	6	27	
	योग	24	14	7	4	32	19	100	

उपरोक्त पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मूल आरक्षण तालिका

क्र.सं.	श्रेणी	पुरुष		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांगजन		योग	विशेषज्ञ
		सीधा	महिला	सीधा	महिला	सीधा	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	6	4	2	1	9	6	27	दिव्यांगजनों की कुल 06 रिक्तियों में से 01=VH, 02=EH, 02=LD & 01=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का दिव्यांगजन इन वर्गों के लिए उपलब्ध होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा, शेष पद उपरोक्त श्रेणी के बिना वर्गीकरण की रिक्तियों में समाहित है
2.	ई.डब्लू.एस.	3	1	1	0	3	2	10	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	4	2	1	1	6	3	16	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	6	3	1	1	6	4	20	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	4	2	1	0	6	2	14	
	योग	22	12	06	03	23	15	87	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्राथमिक/आन्तरिक आरक्षण तालिका (मा. उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन)

क्र.सं.	श्रेणी	पुरुष		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांगजन		योग	विशेषज्ञ
		सीधा	महिला	सीधा	महिला	सीधा	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (आन्तरिक)	2	2	1	1	4	3	13	
1.	अनारक्षित (UR) (आन्तरिक)	2	2	1	1	4	3	13	

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

1. जीव विज्ञान, रसायन तथा भौतिकी विषय के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से नेत्र सहायक (आप्टोमेट्रिक असिस्टेंट) अथवा ट्रिमिमिति तथा अपवर्तन (आप्टोमेट्री एण्ड रिफ्रेक्शन) में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।
3. मध्यप्रदेश सहू-चिकित्सीय परिषद् से जीवित पंजीयन।

नोट:- 1. उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए पदों के आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना है।
2. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्र. पी-5-2/2018/एक/3, दिनांक 22 जुलाई 2023 में दिये गए निर्देशानुसार संविदा के नियम लागू होंगे।
3. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

पद कोड 05 - ओ.टी. टेक्नीशियन
कुल 286 पद (अकार्यपालिक)

पदवार, श्रेणीवार व लिंगवार कुल रिक्त पदों की आरक्षण तालिका (अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण अनुसार) :-

क्र.क्र.	श्रेणी	पुरुष		पूर्वतर क्षेत्रीय		महिलाकर्मी		योग	टिप्पणी
		सीधा	महिला	सीधा	महिला	सीधा	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	20	11	6	3	26	14	78	विभागाध्यक्षों की कुल 17 रिक्तियों में से 04=VH, 04=EH, 05=LD & 04=MD विभागाध्यक्ष के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का विभागाध्यक्ष इन पदों के लिए उपलब्ध होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा, यदि उस श्रेणी के बिना कर्मचारियों की रिक्तियों में समाहित है
2.	ई.डब्लू.एस.	7	4	2	1	10	6	29	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	12	6	3	2	16	8	46	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	16	5	4	2	19	10	56	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	19	11	6	3	26	14	77	
	योग	73	40	19	11	94	61	286	

उपरोक्त पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

क्र.क्र.	श्रेणी	पुरुष		पूर्वतर क्षेत्रीय		महिलाकर्मी		योग	टिप्पणी
		सीधा	महिला	सीधा	महिला	सीधा	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	20	11	6	3	26	14	78	विभागाध्यक्षों की कुल 17 रिक्तियों में से 04=VH, 04=EH, 05=LD & 04=MD विभागाध्यक्ष के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का विभागाध्यक्ष इन पदों के लिए उपलब्ध होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा, यदि उस श्रेणी के बिना कर्मचारियों की रिक्तियों में समाहित है
2.	ई.डब्लू.एस.	7	4	2	1	10	6	29	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	12	6	3	2	16	8	46	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	16	5	4	2	19	10	56	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	10	6	3	1	13	7	39	
	योग	64	34	17	09	82	44	260	

शेष 13 प्रतिशत पदों की कालिक/आत्यंतिक आरक्षण तालिका (मा. उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन)

क्र.क्र.	श्रेणी	पुरुष		पूर्वतर क्षेत्रीय		महिलाकर्मी		योग	टिप्पणी
		सीधा	महिला	सीधा	महिला	सीधा	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (कालिक)	9	6	2	2	12	7	38	
1.	अनारक्षित (UR) (कालिक)	9	6	2	2	12	7	38	

वेतनमान - 25300-80500 (लेवल 6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

1. बीच विज्ञान, रसायन तथा भौतिकी विषय के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था से ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी का एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।
3. मध्यप्रदेश मेडिकल परिषद में जीवित पंजीयन।

नोट:- 1. उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए पदों के आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना है।
2. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्र. सी-5-2/2018/एक3, दिनांक 22 जुलाई 2023 में दिये गए निर्देशानुसार संविदा के नियम लागू होंगे।
3. सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

(डॉ. रचना ठाकरे)
अपर संचालक
संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश

अध्याय - 3

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

3.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।

(ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 की अनुसूची क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भरती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढ़ाये/विलोपित किए जा सकेंगे।

(iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिन्हित कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं पदों के विकल्प/प्राथमिकताक्रम के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समूह परीक्षा में विज्ञापित किए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता के अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु विकल्प/प्राथमिकताक्रम अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा। सभी पदों पर प्राथमिकताओं को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी को उन पदों के परिणाम में विचार नहीं किया जायेगा, जिनको अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकताक्रम में विकल्प के रूप में चयन नहीं किया गया है।

(v) ऐसी पद तालिका, जिनमें Category/X/Open में पद विज्ञापित नहीं है; परन्तु प्रवर्ग तथा भूतपूर्व सैनिक, संविदाकर्मी में पद विज्ञापित हैं, ऐसे विज्ञापित पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में कन्वर्जन का नियम लागू करना संभव नहीं हो सकेगा।

3.2 (i) आवेदक के पास नूतनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।

(ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।

(iii) परीक्षाओं की गोपनीयता, शुचिता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन-पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के विकल्प चुनता है, तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गये पदों की योग्यता का प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

(iv) किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किये प्रमाण-पत्र का कोई स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिये जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है एवं कोई के पास वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(v) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(vi) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भरती परीक्षा से संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(vii) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था/मुख्य/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(viii) आवेदक द्वारा स्वयं रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

(i) जोई की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) ब्लॉपवाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची तथा फोटोयुक्त राशनकार्ड तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, ई-आधार मान्य नहीं है।

3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस तथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales, Digital Watch, Sun glasses and whitener, इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3.5 लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं मण्डल के आदेश क्रमांक पीईबी/न-1/712/2020, भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, जपरी हिस्से में (हाथ से) दिव्यांग तथा सेरेब्रल पल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से मंदता (मेंटल) ऑटिस्टिक और एनेमिक विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अक्षमता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त में संदर्भित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी। सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा के लिए अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं आवश्यक पत्र सहित मण्डल कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी, ताकि मण्डल स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत निम्नानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :- यथा समय ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष मुद्दत पर निर्धारित किया जावेगा।

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित समयावधि के उपरांत इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जावेगा, साथ ही इस आशय हेतु प्रेषित किये जाने वाले पत्र का उत्तर न प्रेषित करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किये जायेंगे। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्दनिरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही दीर्घक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पॉइंट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पुनः से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :-

(i) वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(ii) परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) प्रत्येक उत्तरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पावती को कम्प्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) एवं प्रदर्शित RAW Score समान होने पर ही "सबमिट" किया जा सकेगा।

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उत्तरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है।

(A) निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न की संरचना गलत हो।
(ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो।
(iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
(iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
(v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
(vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(B) हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिन्दी पाठ को मानक माना जाएगा। सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र, जहाँ पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा)।

(C) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा, ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में समतुल्य अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते है और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते है और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते है और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी।

(आदेश क्र. मन्त्रालय/5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3-8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम परसेंटाईल पद्धति :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ईएमबी/29/16/2021/ई-1/1040/2025, दिनांक 13/02/2025 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम परसेंटाईल पद्धति से तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

- ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न-पत्र देने वाले अभ्यर्थी पात्र होते हैं।
- ऐसी परीक्षाएँ जिनका आयोजन बहुचरण में जैसे कि Police Constable Recruitment Test में प्रथम चरण में ई.एस.बी. द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण/आरीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने हेतु मंडल के आदेश क्र. 11-80/2013/08/नौ-2/825/2025, दिनांक 24/01/2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार Normalised Equi-Percentile (NEP) scaling technique एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किये जायेंगे :-

(a) एक चरणीय (Single-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

$$P_{ij} = \frac{\text{No. of candidates in shift (j) having proportionate scores} \le X_{ij}}{N_j} \times 100$$

- shifts be denoted as $S_1, S_2, \ldots S_K$
- number of candidates appearing in each shift be denoted by $N_1, N_2 \ldots N_K$
- X_{ij} be the actual/proportionate marks of candidate (i) in shift (j), where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.
- P_{ij} be the percentile score of candidateX_{ij}, where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.

एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं का एक पाली में एक से अधिक विषय हेतु Percentile score को एकत्रित कर परीक्षा परिणाम नीचे दिए प्रकार का बनेगा।

(b) बहु चरणीय (Multi-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

A.1 In cases where MP-ESB conducts examinations in 2 phases/stages, where the first is through the competitive examination followed by a Physical or Personal Interview/Examination, it is not appropriate to add the proportionate score or the percentile score of the first phase with the scores received in the second phase/ stage. In this scenario, MP-ESB will adopt the following methodology.

A.2 **Step 1**: Compute the percentile score P_{ij} of the proportionate score obtained by the candidates as described at (a) above.

A.3 **Step 2**: Compute the equivalent z-value for the percentile score using the Standard Normal Distribution

$$Z_{ij} = \text{ROUND}\left(\text{NORMSINV}\left(\frac{P_{ij}}{100} - 0.005\right), 6\right)$$

where,

- Z_{ij} = Z -value score of ith candidate & jth shift

A.4 **Step 3**: Compute the corresponding T-score value for each candidate using the following formula:

$$T_{ij} = AM + ASD \times (Z_{ij})$$

where, T_{ij} = T-score of ith candidate & jth shift where,

AM = Assumed Mean = (Maximum Marks of the paper)/2

ASD = Assumed Standard Deviation = (Maximum Marks)/10

A.5 **Step 4:** Compute the Final Score Obtained for each candidate by adding the T-score (T_{ij}) with the score obtained in the Physical/Personal test and the Final Score so obtained may be used for preparing the Merit List and inter-se position.

- For tie-breaking situations, at the first level, will be based on the proportionate marks obtained by the candidate in the examination, followed by the existing practise of MP-ESB.
- The proportionate score, percentile score, Z-value & T-score will be computed by rounding off to six places of decimal for single stage & multistage examination. The qualifying marks for any category (UR, SC/ST/OBC, PWD etc) will be based on Proportionate Scores obtained by candidate.

उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट तैयार किये जायेंगे।

3.9 **प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-**

(i) मण्डल में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु मण्डल की वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा। अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि रूपये 150/- (एक सौ पचास) + अन्य चार्ज/शुल्क देय होगा। मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) बिन्दु क्रमांक 3.8 के अनुसार मण्डल द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम 'की' (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.10 **अनुचित साधन ;Unfair means, UFMs :-**

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./परहेजकारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी निम्नावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) <u>अनुचित साधन ;Unfair means)/यू.एफ.एम. ;UFMs के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में :-</u>

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चे/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, आनाकानी करना, इशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यू.एफ.एम. प्रकरण दर्ज होगा।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. कक्ष अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. कक्ष अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज दाखिल नहीं करना या दाखिल करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यू.एफ.एम. प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता प्रकट होती है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई आचरण/क्रियाकलाप/क्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

11- परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मण्डल द्वारा किये गए डाटा विश्लेषण में असामान्यता परिलक्षित होती है तो संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।

12- परीक्षा उपरांत परीक्षा संबंधी डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर अभ्यर्थी की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को यू.एफ.एम. श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी।

यू.एच.एम प्रकरणों में कोई द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है। जिसे पृथक लिफाफे में सकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अवरोधिक संलिप्तता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) परव्यवधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य परव्यवधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। परव्यवधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी के विरुद्ध यू.एच.एम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराई जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदक एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा अपीलित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मण्डल को अवगत कराया जायेगा।

मण्डल द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को कोई स्तर पर गठित यू.एच.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

(iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली प्रावीण्य सूची मण्डल की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

(v) अन्तिम कुर्सी समिति की अनुशंसाएँ भी मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड की जाएँगी।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते है। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.13 मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।

(ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में मण्डल परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख मण्डल द्वारा जारी आदेश क्र.मण्डल/2/प्रशा./11-38/2006/09/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

3.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित यथावश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा :-

(i) अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि।

(ii) आवेदक की जन्मतिथि के प्रमाण हेतु-मैट्रिक/समकक्ष अथवा मार्कशीट की अंकसूची।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थियों के जाति/श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र।

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

(v) अतिथि शिक्षकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

(vi) प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र (यथा एन.सी.सी. प्रमाण पत्र इत्यादि)।

(vii) आवेदन-पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित विवरण (टेक्स्ट) लिख कर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

"मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।"

3.16 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को निर्धारित प्रारूप/फार्मेट में स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोरायड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।

(iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(iv) उपरोक्त मापदण्ड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा समय अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी मौंछलीन क्षेत्र में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

(vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही कन्फर्मेशन/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित बक्से पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के कैपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर – हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे।

(x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, कन्फर्मेशन/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3.17 एम.पी. ऑनलाईन किओस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत किओस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा :-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।

(ii) किओस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियों भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही किओस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान किओस्कधारक को करें।

(iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर डिपोजिटरी द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र वहू रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन विधियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/कराया जा सकेगा।

3.18 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुकूल अर्हता रखने वाली अंक पूर्ती का क्रमांक तथा कुल प्रतिशत, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक** (आधार VID **अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से**

1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैल्थ कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जावेगा। विभिन्न विभागों द्वारा वहू Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।

(vi) पहचान पत्र के मीनू में चस्पा द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

3.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एन.सी.ओनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
(ii) इसके अतिरिक्त स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
(iii) केवल सीधी भरती-वैकेंसी के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प है :-

(अ) इंटरनेट कैफे द्वारा (अनौपचारिक)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** लिंक कर **ESB** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर

jpg फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंकों के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.22 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुक्त पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/डब्लू.एच./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/डब्लू.एच./दिव्यांगजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/डब्ल्यूएस/दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

(vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, कोई आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

(ix) ऐसे आवेदक, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन-पत्र भर लिया है, लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं किया है, वे निर्धारित संशोधन अवधि में संशोधन शुल्क सहित भुगतान कर सकेंगे।

3.25 **ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-**

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्र. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.27 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3.28 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि शीघ्र के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

3.29 **पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन :-**

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.30 **बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया : -**

(i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्र. 796/962/2012/आ.प्र/एक दिनांक 26.06.2012, परिपत्र क्र. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 06/06/2018 एवं परिपत्र क्र. एफ-7-22/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 30/05/2019 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष अति जनजाति समूह जैसे बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अंतिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा कोई को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।

(ii) संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहरिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित/विज्ञापित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका कोई को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित/विज्ञापित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संशोधित संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी।

(iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपलब्ध, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के विज्ञापित पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(vi) तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) आवेदन-पत्र की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे।

3.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337699 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत मण्डल की E-mail ID "complaint.esb@mp.gov.in" पर भेज सकते हैं।

खण्ड-ग

3.33 आवेदन पत्र भरने की प्रक्रियाएँ

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस
28-07-2026	11-08-2026	15	28-07-2026	16-08-2026	20

3.34 ऑनलाईन परीक्षा का विवरण

क्र.क्र.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	27 सितंबर 2026 अपरिहार्य से आगे	02 घंटे	प्रातः 10:30 से 12:30 तक	100
2	द्वितीय			मध्याह्न 03:00 से 05:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से चमकाकर करना होगा।

3.35 (I) परीक्षा शुल्क :-

क्र.क्र.	उपवर्गों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये	आवेदन पत्र भरने के लिये एक ही बार लॉगिन का गैरवापसी शुल्क	सीधी भरती कैडरों के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	600/- प्रति प्रश्न-पत्र	250/- प्रति प्रश्न-पत्र	किसी एक के माध्यम से भरने पर 60/- किसी के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक

(II) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

क्र.क्र.	उपवर्गों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकबार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकबार संशोधन किये जाने पर गैरवापसी शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

3.36 परीक्षा शहर :-

आवेदकों को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। मण्डल द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहरों एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त संबंध में मण्डल का निर्णय एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित संभावित परीक्षा शहरों/केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :-

प्रायोगिक परीक्षा हेतु संभावित परीक्षा शहर					
1. अनूपपुर	2. भोपाल	3. इन्दौर	4. जबलपुर	5. ग्वालियर	6. सीधी
7. रतलाम	8. रीवा	9. सागर	10. सतना	11. शहडोल	12. उज्जैन

खण्ड-ट

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.37

(i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी.

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.पी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आंसर उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(v) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(vi) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

(vii) नियमपुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।

(viii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व पर पश्चात भी किया जा सकेगा।

(ix) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का विधिमान्य यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा।

पाठ्यक्रम

(1) पद – Physiotherapist

Human Anatomy

A. General Anatomy:

1) Introduction to Anatomy, terms and terminology
2) Regions of Body, cavities and Systems outline.
3) Surface anatomy – Musculo-skeletal and cardiopulmonary
4) Cell Structure and function of cell organelles (Brief outline only).
5) Connective tissue & its modification, tendons, membranes, Special connective tissue.
6) Bone structure, blood supply, growth, ossification, and classification.
7) Muscle classification, structure and functional aspect.
8) Nerve – structure, classification, microscopy with examples.
9) Neurons, classification with examples. Simple refles arc.
10) Parts of a typical spinal cord/Dermatome
11) Joints – classification, structures of joints, movements, range, limiting factors, stability, blood supply, nerve supply, dislocations and applied anatomy.
12) Circulatory system – major arteries and veins of the body, structure of blood vessels
13) Lymphoid system – circulation + function, lymphoid organs and their structure & functions.

B. Upper extremity:

1) Bony architecture
2) Joints – structure, range of movement
3) Muscles – origin, insertion, actions, nerve supply
4) Major nerves – course, branches and implications of nerve injuries
5) Development of limb bones, muscles and anomalies
6) Radiographic identification of bone and joints

C. Lower Extremity:

1) Bony architecture
2) Joints – structure, range of movement
3) Muscles – origin, insertion, actions, nerve supply
4) Major nerves – course, branches and implications of nerve injuries
5) Development of limb bones, muscles and anomalies
6) Radiographic identification of bone and joints

D. Spine:

1) Back muscles - Superficial layer, Deep muscles of back, their origin, insertion, action and nerve supply. 2) Vertebral column – Structure & Development, Structure & Joints of vertebra
3) Radiographic identification of bone and joints

E. Thorax:

1) Thoracic cage.
2) Pleural cavities & pleura
3) Lungs and respiratory tree.
4) Heart and great vessels
5) Diaphragm

F. Head and Neck:

1) Cranium
2) Facial Muscles
3) Structure of eyeball in brief and extra ocular muscles, visual pathway
4) Ear and auditory pathway
5) Triangles of Neck, boundaries and contents
6) Tongue – parts ,extrinsic and intrinsic muscles, motor and sensory nerves, gustatory pathway
7) Pharynx
8) Larynx

G. CNS:

1) Central nervous system – disposition, parts and functions
2) Cerebrum
3) Cerebellum
4) Midbrain & brain stem
5) Blood supply of brain & its applied anatomy 6) Spinal cord- anatomy, blood supply, nerve pathways
7) Pyramidal, extra pyramidal system
8) Thalamus, hypothalamus
9) Ventricles of brain, CSF circulation
10) Development of nervous system & defects (Brief Description)
11) Cranial nerves – special emphasis on V, VII, X, XI, XII (course, distribution and palsies)
12) Sympathetic nervous system, its parts and components (Brief Description)
13) Parasympathetic nervous system (Brief Description).

H. Endocrine - system – Pituitary, Thyroid, parathyroid (Brief Description)

I. Embryology in brief of neuromuscular tissue

J. Abdomen (Brief descriptions only):

a. Boundaries , Muscles of abdominal wall
b. Division of Abdominal cavity
   i. Pouch of Douglas
   ii. Morrisons pouch

K. Pelvis:

1) Pelvic floor, innervations
2) Bony Pelvis

L. Digestive system (Liver & pancreas, Alimentary canal)

M. Urinary system – Kidney, Ureter, bladder, urethra

N. Genital system – Male and Female

Kinesiology

1. Basic Concepts
2. Muscular system
3. Joints
4. Machinery Musculoskeletal system
5. Principles of Motion
6. Principles of force and work
7. Basics of the development of motor skill
8. Principles of stability
9. Postural principles

HUMAN PHYSIOLOGY

1. GENERAL PHYSIOLOGY

1) Structure of cell membrane
2) Transport across cell membrane
3) Functional morphology of the cell
4) Intercellular communication
5) Homeostasis

2. CARDIOVASCULAR SYSTEM

1) General introduction of cardiovascular systems.
2) Structure and properties of Cardiac muscle.
3) Dynamics of blood & lymph flow
4) Anatomical, biophysical consideration of arterial, arteriolar & capillary venous level, Lymphatic circulation
5) Cardiac cycle and Heart sounds,Mechanical events of Cardiac cycle, Cardiac output, its regulation.
6) Origin and spread of cardiac excitation
7) Basic idea of Electrocardiogram and Interpretation of normal Electrocardiogram.
8) Cardiac output and cardiac failure.
9) Venous return.
10) Heart rate and its regulation.
11) Structure and organization of vascular tree.

12) Arterial blood pressure and pathophysiology of Hypertension.
13) Characteristic of Coronary circulation and pathophysiology of Coronary artery disease.
14) Capillary circulation and physiological basis of Edema.
15) Local & systemic regulatory mechanisms of CVS, humeral & neural.
16) Patho-physiology of Shock.
17) Cerebral, coronary, splanchnic, skin, Placental & Fetal circulation.

3. RESPIRATORY SYSTEM

1) Functional anatomy of Respiratory System , Physiological anatomy of lungs, mechanics of respiration.
2) Mechanics of breathing: Mechanism of inspiration and Expiration, Intra-pleural and Intra-alveolar pressures, Compliance, Surfactant, Air-way resistance and work of breathing.
3) Pulmonary circulation, Respiratory membrane and Gas exchange in lungs.
4) Composition of gases and Partial pressures.
5) Oxygen and Carbon-dioxide transport.
6) Other function of respiratory system.
7) Lung Volumes, Capacities and Lung function tests.
8) Neural and Chemical control of breathing.
9) Regulation of respiratory activity, non-chemical influences on respiratory activity.
10) Physio-clinical aspects of Dyspnoea, Apnoea, Asphyxia, Hypoxia, Cyanosis, Breath holding, high and Low atmospheric pressures.

4. CARDIO RESPIRATORY ADJUSTMENTS IN HEALTH & DISEASE

1) Exercise, high altitude, deep sea diving.
2) Hypoxia, hypercapnia, hypocapnia, oxygen treatment.
3) Asthma, emphysema, artificial respiration.

5. BLOOD

1) W.B.C., R.B.C., Platelets formation & functions.
2) Plasma, Blood Groups.
3) Haemostasis, Immunity.

6. RENAL SYSTEM

1) Functions of Kidney , Formation of Urine , Glomerular filtration rate, clearance, Tubular function.
2) Water excretion, concentration of urine-regulation of Na, Cl, K excretion.
3) Physiology of urinary bladder, Micturition- Neurogenic bladder.

7. DIGESTIVE SYSTEM.

1) Digestion & absorption of nutrients.
2) Gastrointestinal secretions & their regulation.
3) Functions of
   (a) Saliva,
   (b) Gastric juice,
   (c) Pancreatic juice.
   (d) Succus entericus,
   (e) Bile.
4) Movements of G.I.T.
5) Functions of Liver & Exocrine Pancreas.

8. NERVE - MUSCLE AND SYNAPTIC & JUNCTION TRANSMISSION

1) Nerve – General Concept.
2) Nerve cell – structure.
3) Genesis of resting membrane potential & Action potential.
4) Their ionic basis, All or None phenomenon.
5) Ionic basis of nerve conduction.
6) Classification & types of nerve fibre.
7) Mixed nerves & compound action potential.
8) Concept of nerve injury & Wallerian degeneration.
9) Muscle properties and functions.
10) Electric & Mechanical responses & their basis.
11) Concept of isometric & isotonic muscle contraction.
12) Electrical events in postsynaptic neurons.
13) Inhibition & facilitation at synapses.
14) Chemical transmission of synaptic activity.

15) Principal neurotransmitter system
16) Neuromuscular junction, structure & events occurring during excitation

9. NERVOUS SYSTEM (descriptive)

1) Organization of Nervous system.
2) Neuron and Neuralgia
3) Synapse: Properties and Synaptic transmission.
4) Reflex arc, its components, properties, type and neurological impairments.
5) General sensations and their properties.
6) Ascending tracts of the Spinal cord and effects of their lesions.
7) Pain and physiological Analgesia.
8) Motor neurons, Descending tracts and their applied aspects.
9) Regulation of Muscle Tone by Spinal and Supra-spinal mechanism.
10) Function of Brain –stem, Cerebellum, Basal Ganglia andMotor cortex.
11) Control of Voluntary movement
12) Regulation of posture and equilibrium, vestibular apparatus.
13) Broad functions of Thalamus, Hypothalamus, Major lobes of Cerebral cortex and Ascending Reticular
14) Activation System
15) Limbic System
16) Learning, memory, speech and conditional reflexes.
    a. Reflexes, monosynaptic, polysynaptic, withdrawal reflex
    b. Properties of reflexes
    c. Sense organ, receptors, electrical & chemical events in receptors
    d. Ionic basis of excitation
    e. Sensory pathways for touch, temperature, pain, proprioception, others
    f. Control of tone & posture: Integration at spinal, brain stem, cerebellar, basal ganglion levels, along with their functions & clinical aspects
    g. Autonomic nervous system & Hypothalamus :
    i. Functioning of Autonomic Nervous System with special reference to micturition, defecation and labour ii. Higher neural regulation of ANS.

10. HIGHER FUNCTIONS OF NERVOUS SYSTEM

a. Learning & memory, neocortex.
b. Limbic functions, sexual behaviour, fear & range, motivation

11. SPECIAL SENSES

1.Functional anatomy of the Eye
2.Optics of Vision
3.Retinal Function
4.Visual Pathways
5.Mechanism of Hearing.
6.Sensation of Taste and Smell.

12. ENDOCRINE

1. Role of Hypothalamus as an endocrine gland.
2. Functions and hypo & hyper secretion of hormones of
    a. Pituitary
    b. Thyroid
    c. Parathyroid
    d. Adrenal
    e. Endocrine part of pancreas.

13. REPRODUCTIVE SYSTEM

a) Male & female reproductive system
b) Spermatogenesis, Functions of Testosterone.
c) Ovarian and Menstrual Cycle and their hormonal control
d) Hormones of Ovary and their functions.
e) Physiological basis of Fertilization, Implantation, Pregnancy, Parturition and Lactation.
f) Contraception.

14. EXERCISE PHYSIOLOGY

1.Effects of acute & chronic exercises
2.Oxygen/CO2 transport – O2 debt.

3.Effects of Exercises on muscle strength, power, endurance, B.M.R., R.Q.- hormonal & metabolic effects/respiratory & cardiac conditioning.
4.Aging.
5.Training, fatigue & recovery.
6.Fitness- related to age, gender, & body type.

15. SKIN AND BODY TEMPERATURE REGULATION

1. Functional anatomy of the Skin and its function
2. Different mechanisms involved in body temperature regulation.
3. Physiological basis of Pyrexia and Hypothermia

FUNDAMENTALS OF PHYSICS, BIOMECHANICS & EXERCISE THERAPY

Course Contents:

All topics are for a brief description only

1. Mechanics - Definition of mechanics and Biomechanics
2. Force - Definition, diagrammatic representation, classification of forces, concurrent, coplanar and co-linear forces, composition and resolution of forces, angle of pulls of muscle
3. Momentum - principles, and practical application
4. Friction
5. Gravity - Definition, line of gravity, Centre of gravity
6. Equilibrium - Supporting base, types, and equilibrium in static and dynamic state
7. Levers - Definition, function, classification and application of levers in physiotherapy & order of levers with example of lever in human body
8. Pulleys - system of pulleys, types and application
9. Elasticity - Definition, stress, strain, HOOKE'S Law
10. Springs - properties of springs, springs in series and parallel, elastic materials in use
11. Aims and scope of various biomechanical modalities – shoulder wheel, shoulder ladder, shoulder pulleys, pronator-supinator instrument, static cycle, rowing machine, ankle exerciser, balancing board, springs, weights
12. Normal Posture - definition & description, static and dynamic, alignments of various joints, centre of gravity, planes & muscular moments, and Analysis of posture
13. Movements - Anatomical definition and description, Movements and exercise as therapeutic modality and their effects, Physiological reaction of exercise
14. Traction - Rationale, Technique, indications & contra-indications
15. Normal Gait - definition & description, alignments, centre of gravity during gait cycle, planes & muscle acting mechanisms, pattern, characteristics Normal gait cycle, time & distance parameters, & determinants of Gait
16. Starting positions - Description and muscle work, importance of fundamental and derived types, Effects and uses of individual positions
17. Soft tissue manipulation - History, definition, types and their rationale, general effects, local effects of individual manipulation (physiological effects) and uses, contra-indications and techniques of application

FUNDAMENTALS OF MEDICAL ELECTRONICS & PRINCIPLES OF BIOELECTRICAL MODALITIES

Course Contents: N.B.- All sections carry equal weightage. All topics are for a brief description only.

Section – A: FUNDAMENTALS OF MEDICAL ELECTRONICS & MAGNETISM

1. DC Currents -Modern concept of electricity: fundamental electric charges (proton and electron), bound and free electrons, free electrons and current, static electric charge, charging of an object, potential and capacitance, potential difference and EMF.
2. A. C. currents: Sinusoidal wave from, frequency, wavelength, Amplitude and phase of a sine wave, Average & RMS value of a sine wave.
3. Quantity of electricity, magnitude of current, conductors and insulators, resistance of conductor and Ohm's law, resistances in series and parallel
4. Capacitors: Electric field around a capacitor, charging and discharging of capacitor, types of capacitor with application of each in Physiotherapy department
5. Rheostat: series and shunt Rheostat with application of each in the Physiotherapy department
6. Effects of electric Current: Thermal effect, chemical effect (ionization) and magnetic effect. Electric shock, Earth shock, causes and its prevention
7. Magnetism: Magnetic - non-magnetic substances and their properties, properties of magnet, molecular theory, poles of magnet and its properties, magnetic lines of force and their properties, Electromagnetism, magnetic effects of electric current, Electromagnetic induction, Lenz's law, Inductor and inductance, types of induction, reactance and impedance.

Section – B: Electronic Devices

1. Thermionic Valves: Thermionic emission, Diode and Triode valves and their characteristics, Construction and application of Cathode Ray Oscilloscope

2. Semiconductor Devices: Intrinsic and extrinsic semiconductors, advantages of diode and transistors devices. Basing of Diode and their characteristics, Light Emitting Diodes, integrated circuits, Advantage of semiconductor devices over thermionic valve

3. Electronic Circuits: Rectifiers, Wheat stone bridge & smoothing circuits,Oscillators and its types.

4. A.C. AND D.C. meters: Functions and applications of Ammeter and volt meters, Ohmmeters.

5. Introduction to Therapeutic Energies – Thermal, Mechanical, Electrical, Electromagnetic and magnetic - Definition, description, Electromagnetic spectrum, physiological effects, pathological effects and dangers.

Section – C: Bioelectrical Modalities

6. Medical Instrumentation For Physical Therapy: Brief description of generation, circuit diagrams and testing

7. Low frequency currents, Direct currents

8. Medium frequency currents

9. Short wave Diathermy-continuous and pulsed

10. Microwave Diathermy

11. Ultrasound

12. Actino-therapy – Infrared- Types of generators , UVR-generators , types, dosimetery and LASER- Productions & instrumentation, classification and physiological effects.

PSYCHOLOGY & SOCIOLOGY

SECTION:A- PSYCHOLOGY Course Contents:-

1. What is psychology? Fields of application of psychology, influence of heredity and environment on the individual
2. Learning – theories & principles learning
3. Memory, Forgetting, theories of memory and forgetting, thinking & methods to improve memory
4. Thinking – process, problem solving, decision making and creative thinking
5. Motivation - theories and types of Motivation
6. Emotions - theories of Emotions and stress
7. Attitudes – theories, attitudes and behavior, factors in attitude change
8. Intelligence - theories of intelligence
9. Personality, theories of personality, factors influencing personality
10. Development and growth of behavior in infancy and childhood, adolescence, adulthood and old age
11. Behavior - normal and abnormal
12. Counseling - Definition, Aims and principles
13. Psychotherapy – brief introduction to paradigms in psychopathology and therapy
14. Psychological need of children and geriatric patients 15. Communication – effective and faulty
16. Emotional and behavioral disorders of childhood and adolescence- (in brief) a) Disorders of under and over controlled behavior b) Eating disorders
17. Mental deficiency
    a) Mental retardation,
    b) Learning disabilities
    c) Autistic behavior
18. Anxiety Disorders -
    a) Phobias, panic disorder,
    b) Generalized Anxiety disorder,
    c) Obsessive Compulsive Disorder,
    d) Post –traumatic Stress Disorder
19. Somatoform and Dissociate Disorders -
    a) Conversion Disorder,
    b) Somatization Disorder,
    c) Dissociate Amnesia & Dissociate Fugue
20. Personality Disorder
21. Patho-physiological Disorders – stress and health
22. Severe psychological disorders – Mood disorders, psychosis

SECTION:B- SOCIOLOGY Course Contents:-

A-Introduction

1. Meaning-Definition and scope of Sociology
2. Its relation with Anthropology, Psychology, Social Psychology and ethics.
3. Methods of Sociology-case study, Social Survey, Questionnaire, interview and opinion poll methods.
4. Importance of its study with special reference to health care professionals.

B-Social Factors in Health and Disease:

1. The meaning of Social Factors.
2. The role of Social factors and illness.

C-Socialization:

1. Meaning and nature of Socialization.
2. Primary, Secondary, and Anticipatory Socialization.
3. Agencies of Socialization.

D. Social Groups:

1. Concepts of social groups.
2. Influence of formal and informal groups on health and sickness.
3. The roll of primary groups and secondary groups in the hospital and rehabilitation settings.

E-Family:

1. The family - Meaning and definition, Functions
2. Changing family Patterns
3. Influence of family on the individual health, family, and nutrition.
4. The effects of sickness on family and psychosomatic disease and their importance to Physiotherapy

F-Community:

1. Rural community – Meaning and features – Health hazards of rural population
2. Urban community – Meaning and features – Health hazards of urban population

G-Culture and Health:

1. Concept of culture
2. Cultures and Behaviour
3. Cultural meaning of sickness
4. Culture and health disorders

H-Social change:

1. Meaning of social changes & Factors of social change.
2. Human adaptation and social change.
3. Social change and stress.
4. Social and deviance.
5. Social change and health Program.
6. The role of social planning in the improvement of health and in rehabilitation.

I-Social problems of disabled: Consequences of the following social problems in relation to sickness and Disability, remedies to prevent these problems

1. Population explosion.
2. Poverty and unemployment.
3. Beggary.
4. Juvenile delinquency
5. Prostitution.
6. Alcoholism.
7. Problems of women in employment.

J-Social security: Social security and social legislation in relation to the Disabled.
K-Social worker: Meaning of social work, the role of a medical social worker.

MSW Course
1st Semester

Paper: 1: Introduction to Social Welfare

Unit-1: Concept of Social Welfare

1. Social Welfare: Concept, need and objectives
2. Philosophy of Social Welfare and Social work
3. Social welfare in National perspective
4. Changing concepts and practices of social welfare in relation to social, economic and industrial development
5. Changing political philosophy and its impact on social welfare

Unit-II: Social Welfare and related terms

1. Social Development
2. Social Planning and social administration
3. Social reform
4. Social Security
5. Social Policy
6. Social Action
7. Social Justice
8. Social and welfare services
9. Social legislation
10. Human Rights

Unit-III: Professional Social work an Introduction

1. The concept of professional social work: Alignment of scientific and humanitarian approach for promoting social welfare
2. The basic principles and values of professional social work and their relevancies to the values of Indian Society
3. Evolution of professional social work in UK, USA and India

Unit-IV: Social work as a profession

1. Nature and characteristics of a profession
2. Professional status of Social work in India
3. Code of Ethics for social workers

Unit-V: Methods of Social Work

1. Primary Methods of Social Work
2. Secondary Methods of Social Work
3. Integrated approach of social work
4. Allied Services Provided in and outside social work

Suggested Readings:

- Gandhardas, W.G. Introduction to Social Welfare (New York Prentice Hall, 1978)
- Government of India: Social Welfare in India (New Delhi, Planning Commission 1966)
- Nagori, Rajnani, Sonia, Kanya Samanaj, Kalyan Lalita Mishra Sansthan, 1972) Prabhat, Social welfare(New Delhi, Mac Millan India, 2001)
- Kulkarni, PD and MC Nanavati: SSOK In the Changing Scenario (New Delhi: Allied publishing House, 1998)
- Surendra Singh (Chief Editor): Encyclopedia of Social work in India: New Royal Book Company, Lucknow(2012)
- Sanjay Bhattacharya: Introduction to Social Work (Jaip and Jaip Publications, New Delhi,2008)
- Desai M.C. Gulshan G.S.Advanced Social Work in Human Development (Human and Social Work, TISS Mumbai 2002)
- Banks S: Ethics and Values in Social Work (Macmillan Press Ltd. London 1995)

Paper 2: Fundamentals of Human Growth and Behaviour

Unit I: Mental Health & Psychology

1. Psychology : Definition and Fields
2. Mental Health : Meaning, Definitions, Characteristics
3. Normal & Abnormal Behaviour : Meaning, Characteristics
4. Human Development : Heredity and Environment

Unit II: Mental Hygiene

1. Meaning, Definition and scope of Mental Hygiene
2. Characteristics and Importance of Mental Hygiene
3. Aims of Mental Hygiene
4. Principles of Mental Hygiene
5. Perspectives of Mental Hygiene

Unit III: Developmental Stages

1. Developmental Stages I : Prenatal
2. Developmental Stages II : Infancy
3. Developmental Stages III : Childhood
4. Developmental Stages IV : Childhood

Unit IV: Developmental Stages

1. Developmental Stages I : Puberty, Adolescence
2. Developmental Stages II : Adulthood
3. Developmental Stages III : Middle age
4. Developmental Stages IV Old age

Unit V: Social Psychology

1. Nature and Scope of social psychology
2. Attitude: meaning and measurement of attitude; prejudice and discrimination
3. Communication: concept, methods, skills in communication, major obstacles
4. Mass communication, public opinion, propaganda, fashion, social facilitation, crowd behaviour

Suggested Readings:

- Hurlock, E.B. : Developmental Psychology, A Life Span Approach (Tata McGraw Hill, New Delhi, 1977)
- Morgan, C.T. : Introduction to Psychology 7th Edition (Tata McGraw-Hill, New Delhi, 1993)
- Hall, C.S. and Lindzey, G. : Theories of Personality (Wiley New York, 1978)
- Pagi, J.D. : Abnormal Psychology (Tata McGraw Hill, New Delhi, 1991)
- Bhatnagar, S.R. : Guidance and Counselling : an Eclectic Approach (Lucknow, 1980)
- Maslow, A.H. (1943) : A Theory of human motivation. Psychological Review
- Mischel, W.A. (1973) Toward a cognitive social learning reconceptualization of personality. N.Y. Oxford University Press
- Vajpeyasiya, R. : Introduction to Social Psychology (Agra Nok Hindi Bookling, 1981)
- Baron, R. A. and Byrne, D. : Social Psychology, 8th Edition (Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi 2000)
- Kin, N.N. : Counselling and Guidance (Tata McGraw Hill, New Delhi, 1991)

Paper 2: Introduction to Contemporary Indian Society

UNIT I: Conceptual & Theoretical Perspectives to Understand Society

1. Society: Nature, Approaches, Functions, Theories of Society (Evolutionary, Cyclical, Conflict and Systems theory)
2. Social Group: Concept & Characteristics of Primary Group, Secondary Group, Reference Group.
3. Social Institutions: Family, Marriage, Kinship, Property (Private/public)
4. Culture: Concept of Culture, Traditions, Customs, Values and Norms

UNIT II: Social System and Social Process of Contemporary Society

1. Social System & Sub-systems: Structure & Function, Classification of Systems
2. Social Structure: Status & Role.
3. Social Process: Meaning and forms of Social Interaction: Socialization, Cooperation, Conflict, Assimilation, Socialization.

UNIT III: Polity & Economy of Contemporary Society

1. State: Elements, Role and Functions.
2. Democratic governance & process.
3. The nature of economic development, Classification of Developing Countries.
4. Meaning of Globalization, Liberalization, Privatization.

UNIT IV: Social Stratification and Social Change in Contemporary Society

1. Social Stratification: Class, Caste & Democracy, Tribes.
2. Social Change: Concept, Factors, Western theories.
3. Dimensions of Social Change in India: Sanskritization, Westernization, Modernization, Secularization.

UNIT V: Problems of Contemporary Indian Society

1. Social Problem: Concept, Factors, Theories.
2. Poverty: Causes, Factors, Extent, Contemporary, Theories, Measures, Impact on society.
3. Population Explosion: Causes, Factors, Extent, Contemporary, Measures, Impact on society.
4. Unemployment: Causes, Factors, Extent, Contemporary, Theories, Measures, Impact on society.
5. Environment pollution: Causes, Factors, Extent, Contemporary, Theories, Measures, Impact on society.
6. Malnutrition: Causes, Factors, Extent, Contemporary, Theories, Measures, Impact on society.
7. Positive and negative impact of Social Media (Internet, Face Book, Social Media, Television, Cinema, Mobile etc.)

Suggested Reading:

- Misra, Rama: Social Problem in India (Rawat Publishers, Jaipur, 1997); Mishra, OP: Indian Social Problems (Rawat Publishers, New Delhi 1991); Reddy, G.R.: Poverty and Unemployment (Arnold Publishers, New Delhi 1987).
- Yadav, Manu: Growing Up Controllable: An Unbridge Publication, New Delhi 2012; Dhanekar, Shri Dale: Mastery and Partnership Publications, New Delhi 2010; Jodhka, Surinder: BJP and Poverty: Mainstream Rawat Publications, Jaipur 1999; Beteille, A: Sociology (New Delhi Oxford 2002).
- Dhokar Rao, C.N.: Sociology, New Delhi S. Chand and Company Ltd.2015.
- Sharma, Rajendra: A Handbook of Sociology, New Delhi Anmol Publications 1997; Srivastava, M.N.: Indian Social Situation, New Delhi Harbansar Publishing House 1991.

Paper: 4. Social Work Research & Statistics (Part-I)

Unit I: Research: Nature & Concept

1. Nature and Characteristics of Scientific method and Social Phenomenon
2. Meaning and definition of Research
3. Nature, scope and importance of research

Unit II: Types and Concepts used in Research

1. Types of research: Historical, Descriptive, Analytical, Experimental, Interdisciplinary, Participatory, action and evaluative research.
2. Concepts used in research: Variables, Attributes, Universe, Sample, Hypothesis, sampling, Measurement, Control

Unit (II): Problem Formulation and Hypothesis Testing

1. Problem formulation: Identifying potential areas for research, selecting specific research issue, formulation of objectives, defining the objectives.
2. Concept and nature of Hypothesis formulation and testing: Level of Significance, Degree of Freedom, Type I Type 2 error.

Unit (V): Data Collection and Analysis

1. Methods of tools of data collection: Observation and Interview Schedule, Questionnaire, and secondary methods of data collection.
2. Sampling design: Probability and non-probability
3. Data processing and analysis, interpretation and report writing

Unit V: Research Design

1. Research design: Concept, Meaning and importance of Research Design
2. Types of Research Design:
3. Experimental Design: After only, Before After, Ex post facto experimental Design.
4. Non Experimental Design: Exploratory, Descriptive and Diagnostic

Suggested Readings

- Ahuja Ram, Pages in Social work research in India (Jaipur Rawat Publications, New Delhi 1999)
- Gupta Shashi Gupta, A Guide to Statistics (Jaipur Publications, New Delhi 2000) Hegde, M.V. Methods of Social Science and Research (Sub Chas Ranjan 1999)
- Lal Das D.K. Practice of Social Research (Sterling Publications, Jaipur 2000) Goode and Hatt Methods in Social Research (McGraw Hill, New York 1977)
- Young, Pauline V. Scientific Social surveys and Research (Prentice Hall of India New Delhi 1984) Gupta, Ch. An Introduction to statistical Methods (Sultan Chand and Sons, Agra 1980)

Paper: 5 Social Work with Groups

Unit I: Understanding Concepts of Group Work

1. Concept of Group and its importance in human life cycle, Types of Groups
2. Concept and Characteristics of Social Group Work
3. History and Development of Social Group work in West and in India

Unit II: Social Group Work as a method of Social Work

1. Theories and Models in Social Group Work
2. Values and Principles of Social Group Work
3. Role of Group Worker
4. Social Group Work in various settings

Unit III: Social Group Work Process and Programme

1. Stages / Phases in Group Development
2. Factors affecting Group Development and Role of Social Worker in different Stages of Group Development
3. Concept and Importance of Programme in Group Work Practice
4. Programme Planning, Development and Implementation Process

Unit IV: Skills, Techniques, Recording and Evaluation in Social Group Work

1. Skills of Group Worker for Group Development, Programme Planning and Programme Implementation
2. Recording in Group Work: Principles and Types of Recording, Techniques of Recording: Process notes, Summary
3. Evaluation in Group Work – Importance of Continuous evaluation in Group Work, Types and Methods of Evaluation

Unit V: Group Process and Dynamics

1. Social processes in group work
2. Leadership and its development in group work process
3. Communication in Group
4. Group Dynamics – Group Bond, Group Conflict, Cohesiveness, Apathy and Group Control

Suggested Readings

- Balgopal, P.R. and Vassil, T.V. (1983) Groups in Social Work: An Ecological Perspective, Macmillan publishing company Inc., New York
- Bhat R.M. (1998) Records of Social Group Work Practice in India, Female University Mysuru
- Encyclopedia of Social Work in India, Vol. 2 and 3, [illegible] Ministry of Human Resource Development, New Delhi (2012)
- Fischer R.A and J.G. (1978) Concepts and Methods of Social Work, Prentice Hall INC, Englewood Cliffs, NJ
- Gioria, Charles H. et al. (eds.) (2000) Handbook of Social Work, SAGE Groups, Sewal Publications, New Delhi
- Jaiswal, P.P. (2001) Group Theory and Group Skills, Sterling Mohan Publishers, Ahmedabad, Bikaner
- Kamalan Gracy (1992) Social Group Work, A Helping Process, Prentice Hall
- Siddiqui, H.Y. (2000) Group Work: Theories and Practices, Rawat Publications, New Delhi
- Trecker, Harleigh B. (1955) Social Group Work: Principles and Practices, New York, Association Press

BSW Course
4th Semester

Paper 1: Fields of Social Work in India

Unit-I Fields of Social Work

1. Family and child welfare
2. Welfare of the scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes
3. Medical and Psychiatric social work
4. Community development rural and urban
5. Welfare of the physically and mentally challenged

Unit-II Fields of Social Work

1. Welfare of the women, Working with adolescence
2. Welfare of youth
3. Welfare of the aged (Gerontology) School social work
4. Social work in Correctional institutions
5. Health services
6. Labour welfare and Personnel Management

Unit-III Voluntary Action for Social Work in India

1. Voluntary Action, Voluntary efforts for social Welfare in India
2. Reduced contribution (ENGOs) in Social welfare
3. Scope, need and limitations for voluntary welfare programmes in India

Unit-IV Navodaya Movement in India

1. Social Reform and Navodaya Movement in India
2. Navodaya Ideology of transformation of Society
3. History of Navodaya movement, in Pre-Conflict and post Conflict era
4. Differences and similarities between Gandhian constructive work and professional social work

Unit-V State Action for Social Welfare in India

1. Concept of the welfare state and the Indian Constitution, relevant provisions
2. State Policies, Scope, need and limitations of social welfare programmes in India
3. Brief account of social welfare programmes and provisions in Five Year Plans

Suggested Readings

- Friedlander, W.S. Introduction to Social Welfare (New York, Prentice Hall, 1994)
- Government of India: Social Welfare in India, New Delhi, Planning Commission (1986). Nagaraj, Rajasimha: Social Welfare, Kanpur, Tandon Publications (1979) Pathak, S. Social Welfare, New Delhi Mac Millan India, (1981)
- Sullivan, PJ and MC Nagarajan: NGOs in dilemma, Succeed, (New Delhi, Uppal Publishing House, 1988)
- Surendra Nath Khan Khan, Encyclopedia of Social work in India, New Royal Book Company, Lucknow (2013)

Paper 2 : Health, Behaviour and Behavioural Problems

Unit I - Health & Illness

1. Meaning and Definition of Health
2. Meaning and Definition of Illness
3. Dimensions of Health
4. Determinants of Health
5. Indicators of Health

Unit II - Personality Development

1. Psycho-Social Development: Freud's Stages and Freud
2. Psycho-Social development theory: Erik Erikson
3. Problem Motivation
4. Perspectives of Psychopathology

Unit III - Personality

1. Meaning and Definition of Personality
2. Allport's Personality Traits: Central, Cardinal and Types
3. Determinants of Personality
4. Types of Personality
5. Personality test: Projective techniques, Personality Inventories

Unit IV - Mental Retardation & Intervention

1. Mental Retardation: Causes & Types
2. Psychotherapies: Overview of major therapies
3. Counselling: Definition, Aims
4. Skill of Counselling

Unit V - Behavioural Problems

1. Stress : Psychology, Healthy Changes & Coping Strategies
2. Disruptive Factors of Mental Health: Biological, Psychological and Social Factors
3. Mental Illness: Neurosis, Psychosis and Personality Disorders
4. Mental and Behavioural Disorder : ICD -10

Suggested Readings :

- Bulbeck, L.D. : Developmental Psychology: A Life Span Approach (Tata McGraw Hill, New Delhi, 1977)
- Morgan, C.T. : Introduction to Psychology 7th Edition (Tata McGraw Hill, New Delhi, 1993)
- Hall, C.S. and Lindzey, G. : Theories of Personality (Wiley, New York, 1978)
- Pagel, I.G. : Educational Psychology (Tata McGraw Hill, New Delhi, 1997)
- Jayanthi, S.R. : Counselling and Guidance : An Eastern Approach (Lucknow, 1983)
- Maslow, A.H. (1943) A Theory of human motivation. Psychological Review
- Murray, H.A. (1938) Exploration in personality. N.Y. Oxford University Press.
- Gangadhar, B. : Introduction to Social Psychology (Sahitya Bhawan, Delhi)
- Horton, B.A. and Hunt, C. : Social Sociology, 6th Edition (Tata McGraw Hill Pvt. Ltd., New Delhi, 2004)
- Rao, S.S. : Counselling and Guidance (Tata McGraw Hill, New Delhi, 2002)

Paper 2: Social Case Works

Unit 1: Social case Work as a method of Social Work: Introduction

1. Concept , Need and Objectives of Social Case Work
2. Case Work : Historical Development in West and India
3. Experimental Social Case Work as a method of Social Work and its relationship with other methods of Social Work
4. Social Case Work and some thematic thinkers

Unit 2: Basics of Social Case Work

1. Components of Case Work
2. Basic Concepts in Social Work: Ego, Social Role, Stress and Adaptation
3. Causes of Interpersonal adjustment problem
4. Motivational Self

Unit 3: Social case work Theory

1. Principles of Social Case Work Practice
2. Phases of Social case Work Study, Continuous assessment and analysis, Psycho-Social Diagnosis, Intervention, Follow-up, Termination
3. Techniques of Intervention
4. Client-worker Relationship

Unit 4: Essentials of Practice

1. Interviewing: Concept and Types
2. Specific Skills and Sensitivities: Rules of Interviewing
3. Specific Interviewing problems
4. Recording in Social Case Work: Concept, Purpose and Types
5. Principles of Recording

Unit 5: Case Work Practice in India

1. Scope and practice of Social case work in different settings
2. Constraints of Social case work practice in India
3. Role of Social Case Worker in different settings: Family, Child, Human Multilia

Suggested Readings

- Encyclopedia of Social Work in India, Vol. 1 (2012) (R. Sambhi Singh Ed.), Social Work Institute, New Delhi
- Antonio (ed.), Ravi Kumar (2011) Social Case Problem: Practice and Perspectives (Models of Essential Practice), Vol II, Unit 2, Mangal Deep Publication, Jaipur
- Mishra, Gyan (2012) An Introduction to Social Case Work, IPH, Meerut
- Hawkins, G. (2011), Theory and Practice in Social Case work, Rawat Publications
- Gadhyan, R.K. (2012), Social Case Work, Rawat Publications
- Pathak, H.L. (2011), Social Case Work: Problem Solving Approach, Rawat Publications
- Mini Bhattacharjee, Social Diagnosis

Paper-II : Social Work Research and Statistics: Part -II

Unit- I Social Work Research

1. Social Work Research: Nature, Objectives, scope and Significance
2. Social Survey: Types, Social Survey and research, Social Welfare Survey
3. Cost Effective Analysis

Unit- II Qualitative Research

1. Qualitative Research: Case Study and Content Analysis
2. Scales: Attitude measurement scales, sociometry, Perspective technique

Unit- III Social Statistics

1. Graphic and diagrammatic presentation
2. Measures of central tendency: mean, median and mode

Unit- IV Social Statistics

1. Measures of dispersion: range, mean Dev, Quartile
2. Measures of Deviations: standard deviation and coefficient of variation

Unit -V Social Statistics

1. Measures of correlation: Karl Pearson's Correlation and Rank Correlation
2. Test of association: chi-square and test of significance: t-test
3. Anova (one way)

Suggested Readings

- Kumar Vinod, B. Sahai, In Social work research in India (Tata Institute of Social Sciences, New Delhi 1986)
- Gallagher, Frederick, Nicolas: A Guide Introductory Stage Publications, New Delhi 2000)
- Rajpal, MC: Methods of Social Survey and Research (Kitab Ghar, Kanpur 1980)
- Lal Das DK: Practice of Social Research (Rawat Publications, Jaipur 2000)
- Goode and Hatt: Methods in Social Research (McGraw Hill, New York 1977)
- Young, Pauline, Scientific Social surveys and Research (Prentice Hall of India, New Delhi 1969)
- Gupta CB: An Introduction to statistical Methods (Vikas Pvt Ltd and Sons, Agra 1980)

Paper-5: Human Rights and Social Work

UNIT I: Human Rights and Justice: Conceptual Perspectives

1. Concepts: Human Rights, Rights, Human Dignity.
2. Nature & Classification of Rights: Natural, Moral and Legal Rights.
3. Total Generations of Human Rights: Civil & Political Rights, Economic, Social, Cultural Rights, Collective Solidarity Rights.
4. Human Rights Movements: Historical Evolution of Human Rights at International & National level.

UNIT II: Human Rights and Social Work

1. Human Rights and Social Justice.
2. Human Rights and Social Work's Ethical Relevance.
3. Role of Social Worker in Human Rights Organisation.

UNIT III: International Perspective to Human Rights

1. International Concerns for Human Rights.
2. Universal Declaration of Human Rights.
3. International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights.

UNIT IV: Mechanism for Protecting Human Rights in India

1. National & State Human Rights Commission.
2. Judicial Mechanism for Human Rights: Legislature, Executive & Judiciary.
3. Human Rights Commission: Women, Children, Scheduled Castes & Scheduled Tribes, Minorities, Differently Able, Displaced.
4. State, Economic, Political and Administrative Constraints in Performance.

UNIT V: Human Rights Violation & Constitutional Remedies in India

1. Violation of Human Rights in Penal: Disadvantaged Groups, Women & Children, Minorities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Castes, Displaced and Caste/Ethnic Violence.
2. Role of Regional, National and International Non-Governmental Organisations in Promoting Human Rights.

Suggested Readings:

- Bipin, G.P. and O.R. Bipin, Human Rights in India: Implementation and Violation, (New Delhi: D.K. Publishers, 1996).
- Bipindra Aur ali, Book Documents on Human Rights (Delhi: Controller Press, 2002).
- Dhaka, Fame and Property: Human Children and Legal Protection (New Delhi: Deep and Deep, 1996).
- Jain, S.K. Sharma, Human Rights and Human Wrongs (New Delhi: D.K. Publishers, [illegible]).
- Jayaral, B.K. and D. Jayaral, Human Rights and the Law (New Delhi: Anil Publishing House, 1996).
- Kumar, S.K., Human Rights with International Law and Indian Law (Allahabad: Central Law Agency, 1995).
- Nathan, Nehru and Ga R. Sen, Enforcing Human Rights (1991).
- Nehru, P.L. and Nand Kumar, Human Rights under the Indian Constitution (New Delhi: Deep and Deep Publications, 1996).
- Nehru, Hardayal, Public Interest Litigation: An Analysis of Public Litigation (New Delhi: S. Sen, 1996).

Group A: Human Resource Management

(1) Labour Welfare

(2) Management of Human Resources

Group B: Medical and Psychiatric Social Work

(1) Psychopathology and classification of Psychiatric Disorders

(2) Interventions in Psychiatric Disorders

Group C: Urban and Rural Community Development

(1) Development Management - Policy

(2) Rural Community Development and Panchayati Raj

Group D: Social Welfare Administration

(1) Social Welfare India Policy

(2) Administration of Social Welfare Policy

Group E: Women and Child Development

(1) Women's Welfare and Development Policy

(2) Child Welfare and Development Policy

HSW Course
2nd Semester

Paper 1: Social Policy and Social Legislation in India

Unit 1: Concepts

1. Policy
2. Public policy
3. Public Welfare
4. Social Policy
5. Economic Policy
6. Social Welfare Policy
7. Affirmative Action
8. Protective Discrimination
9. Distributive and Redistributive Justice

Unit 2: Social Policy in India: Processes and Actors

1. Sources of Policy: Indian Constitution – Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy
2. Overview of the basic structure of the Indian Political System: Legislature, Judiciary and executive
3. Policy Formulation Process, Role of Various actors in policy formulation-Institutional, Organisations (UN, WTO, World Bank), Pressure Groups, Lobbies, Advocacy Networks, Academic and Research Organisations, Industry and Market Forces, Role of Social Workers
4. Critical Analysis

Unit 3: Legal Provisions for Special Groups

1. Rights of the Disadvantaged and the Constitution
2. Legal provisions for women
3. Legal provisions for persons with disability
4. Legal Provisions for Children

Unit 4: Legal Aid, Social Advocacy and Role of Social Worker

1. Legal Aid and Government Initiatives
2. Social Advocacy and Public Interest Litigation
3. Law and Social Activism, Consumer Protection and Right to Information
4. Rights of the Disadvantaged, Empowerment and Role of Professional Social Worker in Legal Aid and Legal Assistance

Unit 5: Social Welfare Administration

1. Developmental and Welfare Economic and Social Dimensions
2. Social Welfare Administration: Concept, Historical Overview
3. Principles of Social Welfare Administration
4. Role of Statutory and NGO: Roles and Functions

Suggested Readings

- Hill, M. (2003). Understanding Social Policy. Oxford: Blackwell Publishing.
- Midgley, R. (1995). Mobilising Welfare: the Welfare State Challenge. Pres. Northampton.
- Edward Elgar Publishing, U. and L. Gigel. (1995). Engineering Social Policy. Milton Keynes: Open University Press.
- Davis, David (1998). Social Policy and Social Work. Oxford: Clarendon Press.
- Gill, L. G. Silverstone & Clarke (eds. (2003). Installing Social Policy. London: Open University Press in association with Sage Publications.
- Jagat Chawla. (2002). Globalization, Export Oriented Employment for Women and Social Policy: A Case Study of Sons Export Industry. Vol. 36 No. 17, 17.
- Lavalle, P. (1999). Comparative Social Policy. London: Open University Press.

Paper 2: Community Organization

Unit I: Communities in India

1. Concept of Community: Its structural and functional aspects
2. Rural Community: nature, structure and problems
3. Urban Community: Notable skill problems
4. Tribal Community: tribal culture and problems
5. Community power structure

Unit II: Community Organization

1. Concept and aims of community organization
2. Historical development of community organization
3. Principles of community organization

Unit III: Community Organization Process

1. Steps in community organization process
2. Role and skills of community organizer
3. Models of community organization

Unit IV: Community Organization and Social Action

1. Concept, types, process and models of Social action
2. Recent trends in social action and social movements
3. Social Action and social change
4. Leadership: types and functions
5. Importance of leadership in community organization

Unit -V: Community Development

1. Community development: concept, philosophy and methods
2. Rural community development
3. Urban Community development
4. Social Audit and Community Development

Suggested Reading:

- Boggs, K. Steve: Organizing for Community. Sahab (Sage Publications New Delhi - 1990)
- Siddiqui, H.Y.: Group Work and Social Action (Vikas publication New Delhi - 1981)
- Ohri, Vidyl M.: Principles of Community Organization Practice. Publication Bhilali (1971)
- Hasan and Siddiqui: Community Organization in Rural Development. Prasad, New York (1963)
- McMillen, Wayne: Community Organization for Social Welfare (The University of Chicago Press Chicago 1951)
- Mishra P. N.: Rural Development in India (Sage Publications New Delhi - 1985)
- Mukherjee, Shyama P.: Rural Development in India (Sage Publications New Delhi 1980)
- Hasan, M.: Modern Approach to Village Development (Vikas Publication 1983)
- Parmar, Satyam: Habitation Programme (Concept Sage Publication - New Delhi - 1983)
- Cohen, Marshall N.: Man and Community Development (The Free Press, New York 1967) Mishra, N.: Working with Communities (Ritu Publication New Delhi (1977)
- Gangrade, K.D.: Working With Communities (Concept Sage Publications New Delhi 2001) Dutta, Ghosh, Pal and Ashok Bhatia: Asset Building and Community Development (Sage Publications, New Delhi-2001)
- Asha Bhargavi Pal: Community Organization and Development (NBT Learning Without Limits, New Delhi (2001), Table-2001).

Specialization (Group A) Human Resource Management

Paper: I (Group A) Labour Welfare

Unit- I

1. Industrial Growth in India with special reference to IGP
2. Impact of Industrialization and urbanization on life of workers
3. Productivity concept & measurement
4. Productivity and mechanization

Unit- II

1. Working and living conditions of labour
2. Industrial Housing, Industrial Pollution and control
3. Alcoholism and labour welfare and its impact

Unit- III

1. Wages: Wage Slavery
2. Concept of subsistence wages, fair wages and living wage
3. Mode of wage payment
4. Major components of wages and emoluments

Unit- IV

1. Social security: Concept and its scope in India
2. Social work in Industry
3. Specialist of labour welfare
4. Role of trade union in labour welfare

Unit- V

1. Concept, scope of Labour welfare
2. Philosophy and Objectives of Labour welfare
3. The welfare officer: role, duties and status
4. Present trends and practices EAP (Employee Assistant Programme)

Suggested Readings:

- Saxena, RC: Labour Problems and Social Welfare (New Academic Publishers, Ludhiana-1971)
- Pillai MC: Labour and Industrial Laws (Allahabad Law Agency, Allahabad) 1986
- Jain RC: Indian Labour Statutes (Allahabad Law Agency, Allahabad) 1986
- Mamoria, MV: Principle of Labour Welfare (OUP and IBH Publications co. New Delhi-1961)
- Malhotra VS: Labour Problems in Industry Check and Company Ltd. New Delhi-1981)
- Malik P: Industrial Law (Eastern Book Company, Lucknow-1985)
- Singhania, VK and Singhania K: Principles Labour Laws (Taxmann Publications pvt. Ltd. Agra-1981)

Paper: 2 (Group A) Management of Human Resource

Unit- 1: HRM

1. Concept and approaches to management
2. Concept and evolution of HRM as a profession
3. HR Deptt.: Structure and Functions
4. Human resource planning

Unit- 2: Human Resource Functions

1. Recruitment and selection
2. Induction and Induction
3. Compensation and reward
4. Internal Mobility and exit mode

Unit- 3: HRD

1. HRD: Conceptual framework
2. Training and Development
3. Strategies and Counseling Cycle
4. Performance appraisal and review
5. Training and Development

Unit – 4 Organizational Behaviour

1. OB : Concept, components and organizational culture and climate
2. Motivation and Values
3. Attitudes and Attitude formation

Unit- 5: The Future of HRM

1. Audit and research in HRM
2. Managing change and challenges in HRM
3. Globalization and the future of HRM
4. Application of Social Work Skills in HRM

Suggested Readings

- Arnold and Feldman: Organizational Behaviour (McGraw Hill Co., New Delhi) (1987)
- Bhatt Ms.: Personnel Management and industrial relations (Satya and Sons Publication, New Delhi) (1989)
- Dyer Edwin: Management: Decision in Organizations (Prentice Hall of India Pvt Ltd, 1991)
- Gilbert JG: Management of Human Resource (Oxford and IBH Publishing Co., New Delhi) (1987)
- Hoyer CR: Principles of Personnel Management (McGraw Hill Book Company, New York 1990)
- Lal Das DN: Personnel Management: Behavioral criterion and Future outlook (CK Publishers, Agra 1991)
- Monappa CB: Personnel Management (Tata McGraw Hill Publishing Co., New Delhi) (1989)
- Singh PN: Developing and Managing Human Resources (Deekshita Publications, Meerut) (1992)
- Sreevastava KN: Labour Management Relations in India (Atma Publishing House, Bombay) (1987)
- Tyson Pamela and Jankulpa, Secret Crisis Unions in India (Oxford and IBH Publishing House Pvt Ltd, New Delhi) (1987)
- Udaykumar PC & Reddy PS: Principles of Management (Tata McGraw Hill Publishing Company Limited, New Delhi) (1991)

Specialization [Group B]: Medical and Psychiatric Social Work

Paper II [Group B]: Psychopathology and Assessment of Psychiatric Disorders

Unit I - History and Assessment Methods

1. Historical Development of Medical and Psychiatric Social Work
2. Definition of Medical Social Work and Psychiatric Social Work
3. Historical Development of Psychiatry in West
4. Historical Development of Psychiatry in India

Unit II - Classification and Causes

1. Classification of Mental and Behavioral Disorders (ICD-11)
2. Classification of Mental and Behavioral Disorders DSM - V
3. Etiology: Biological, Psychological and Social Factors in Psychiatric Disorders

Unit III - Assessment Methods and Tools

1. Psychiatric Examination: Principles of Psychiatric Interviewing
2. Psychiatric Case History Taking
3. Mental State Examination
4. Social Diagnosis: Concept, Types and Steps.

Unit IV - Symptomatology

1. Alteration in Cognitive Function
2. Disorder of Consciousness
3. Disorder of Motor Activities
4. Disorder of Perception
5. Disorder of Memory
6. Disorder of Thought

Unit V - Concepts in Counseling

1. Meaning, Philosophy, Definition & Features of Counselling
2. Concepts Related to Counseling: Guidance, Advice, Therapy and Instruction
3. Types of Counseling: Family, Marital, Educational, Career and Vocational, Psychiatric and Informal Counselling

Suggested Readings:

- Green, E.C. Becker, J.V. and Alfonso, A.: Abnormal Psychology and Modern Life (Eighth edition, New York, 1988)
- Sullivan, T.J. Blake, R.C. (Ed.) (1989): Psychiatry: The American Psychiatric Press, Inc. Washington, Delhi (PH)
- Pathak, S.H.: Medical Social Work (Delhi: School of Social Work)
- Banerjee, G.R.: Social Service Department: Organization and Functions (PHA, Bombay)
- Dasgupta, S.M.: Handbook Social Work: The Grassroots Worth Prize, New York, 1970
- World Health Organization: ICD-10 (WHO, Geneva, 1992)
- Gelder, M. Gath, D.: Oxford Textbook of Psychiatry, Oxford University Press London, 1989
- Gupta, S.L.: Problems Social Work in Delhi (Sage Publication, New Delhi, 1981)

Paper-2 (Group B): Intervention Psychiatric Disorders

Unit I – Mental and Behavioral Disorders – I

1. Organic Mental Disorder
2. Psychoactive Substance Use Disorder
3. Schizophrenia, Schizotypal and Delusional disorder
4. Neurotic Stress Related and Somatoform Disorder
5. Disorder of Adult Personality and Behaviour

Unit II- Mental and Behavioral Disorders – II

1. Child Psychiatry
2. Geriatric Psychiatry
3. Sleep Disorders
4. Disorders of Eating
5. Psycho-Sexual Disorders

Unit III- Mental & Behavioral Disorders – III

1. Mood (Affective) Disorders
2. Disorders Related to Delirium
3. Psychiatric Sequelae of Physical Illnesses
4. Psychiatric Emergencies

Unit IV- Medical & Psychiatric Social Work Settings

1. De-addiction Center: Need, Structure, Programs
2. Child Guidance Clinic: Need, Structure, Programs
3. Psychiatric Rehabilitation Center: Need, Structure, Programs
4. Mental Health Hospitals, Half way Homes

Unit V – Counselling Skill

1. Application of Counselling in Different Setting: Educational Institutions, Industries, Family Welfare Centers, Child Welfare Centers
2. Functions, Qualities and Skills Required for MPSW in Counselling
3. Principles, Techniques, Process and Stages of Counselling

Suggested Readings:

- Corey, R.C. Sinclair, J.S. and Sinclair, S., Advanced Psychology and Modern Education, New York, (1968).
- Tolbert, E.L. Shoben, E.J. (Foundations of Counselling: The Increasing Personality Power Dynamics Problem) (1968).
- Pathak, S. H., Medical Social Work (Delhi School of Social Work)
- Bhargava, G. S., Social Service Department, Hospitals and Families (TISS, Bombay)
- Dubois, L.M., Programme Social Work, The Dorsey Dorsey Press, New York, (1963)
- World Health Organization, Echo (PAHO/WO, New Delhi(1990)
- Gerdal, M., Gerdal, D., Oxford Text book of Psychiatry, Oxford University Press London (1986)
- Verma, R., Psychiatric Social Work in India (Sun Publication, New Delhi(1991))

Specialization (Group C): Urban and Rural Community Development

Paper I (Group C) Development Management- Part-I

Unit-I Concept of organization and its types

1. Organizational Vision, mission, values
2. The Concept and theoretical framework of organizational behavior
3. Types of organizational structure

Unit-II Societies Registration Act

1. Registration of society, legal and other implications
2. Administrative procedure in a voluntary agency: General Body, Board of governance and [illegible]

Unit-III Organizational culture and factors affecting organizational culture

1. Organizational change, change process, the role and skills of change agent
2. Motivation theories and leadership: Maslow's Hierarchy of Needs, Herzberg Theory, McClelland's Theory of Achievement and Motivation (Motivation Theory, Hierarchy Theory, Achievement motivation theory)

Unit-IV Organizational sustainability

1. Concept, approach and practice of sustainability at organizational level and programme level
2. Factors affecting sustainability
3. Financial sustainability: Need and importance, Models of fund raising, Financial accounting, Basics of income tax

Unit-V Defining conflict and crisis

1. Conflict and crisis management
2. Ways of dealing with conflict and crisis in organizations
3. Change in organization, change approaches, change process, the role and skills of change agent

Suggested Readings:

- Drucker P. Managing the Non-Profit Organization (Harper Collins, New Delhi, 1993)
- Bruce Rogers: (Turbulent Managing Human Service Organizations (Sage Publications, New Delhi 2011))
- Filipo R. D. Principles of Personnel Management (McGraw Hill Book Co, New York, 1980)
- Uma Sekaran: Organizational Behavior (McGraw Hill, New Delhi, 1985)
- Pareek Udai: Motivating in Organizational Roles (Rawat Publications, Jaipur, 1993)
- Robin P. Stephen: Organizational Behavior (Prentice Hall of India, New Delhi, 2001)
- Gareth Morgan: Organizational Development (Prentice Hall of India, New Delhi, 2000)
- Rao, T.V.: Readings in Human Resource Development (Oxford and IBH, New Delhi, 1991)
- Singh Anup and Bhatia B. Gupta: Developing and Managing Organizations for Innovation (Sage Publications, New Delhi, 2001)
- Beckhard, Lewin and Ray, T.V.: Organizational Development (Sage Publications, New Delhi, 1998)

Paper: 2 (Group C) Rural Community Development and Panchayati Raj

Unit-I Community Development

1. Concept, definition, need, principles and methods
2. Rural Community Development
3. Early experiments in rural community development in India

Unit-II Origin and philosophy of Panchayati Raj administration in India

1. Role of Panchayati Raj in Rural Development
2. 73rd Amendment of the Constitution
3. Panchayati Raj system at the District, Block and Village level
4. Composition of Panchayati Raj Institutions, Gram sabha and social audit
5. Functions of Panchayati Raj institutions

Unit-III Programmes for Rural Development in India

1. Programmes implemented by Government of India and State Governments
2. Training for Rural Development functionaries
3. Impact of Rural Development programmes on Rural beneficiaries

Unit-IV Extension Education

1. Concept of Extension education and its applicability in community development
2. Extension methods used by GOs and NGOs

Unit-V NGOs and their role in community development

1. Human needs in relation to social development
2. Empowerment of the weaker sections
3. Use of social information, provision and public service delivery in community work.

Suggested Reading

- Mishra B.Dhar, Rural Development in India (Sage Publication New Delhi, 1993)
- Mukherjee Bimman, Rural Development in India (Sage Publication New Delhi 1993)
- Mishra G.P. Sahu A (Everything Village) (Swift Book, India Lucknow 1987)
- Bureau Lionel Underwing Programme Evaluation (Sage Publication New Delhi 1993)
- Chief Minister & Water and Community Development (The Text Book Tilak Nagar 1992)
- Chopra H.K. Working with Communities (NIH Publication, New Delhi 1993)
- Gangadhar K.N. Working With Communities at Grass root Level (India Publication New Delhi 2001)
- Desai Vasp, Pati and Ajay Hasan, Social Planning and Community Development (Sage Publication, New Delhi 2001)
- Sahu Ramananda Patti Community Organization and Development (PHI Learning Private Limited, New Delhi 110001, India 2013)
- Dahiya Singh Nanda (Editor) Functioning of Panchayat Raj System (Deep Publication Delhi 2001)
- Jawahar Singh Gilbert Albert, Encyclopedia of Natural work in India, New Royal Book Company, Lucknow 2010

Specification (Group: I) Social Welfare Administration

Paper: 1 (Group-I) Social Welfare In India (Part-1)

Unit-I

1. Social Policy: Concept and meaning
2. Social welfare policy in India: Objects and principles
3. Contribution of Theoretical social work in social welfare in India

Unit-II

1. Factors involved in social policy formulation
2. Strategies for influencing social welfare policies
3. Social and welfare state: Social welfare and five year plans

Unit-III

1. Theories and indices of poverty
2. Poverty in India: Causes and consequences
3. Measures to eradicate poverty and social backwardness in India

Unit-IV

1. Impediments to social development in India
2. Planning and social policy in India
3. Social policy and social development

Unit-V

1. Problems of scheduled castes, scheduled tribes and backward classes
2. Constitutional provisions and policies for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes
3. Programmes for the welfare of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes

Paper: 2 (Group-I) Administration of Social Welfare (Part-1)

Unit-I

1. Basic concepts: Social administration, social welfare administration and public administration
2. History of social welfare in India
3. Social welfare administration in India

Unit-II

1. Principles of social welfare administration
2. Social welfare planning in India
3. Social welfare administration at different levels in India: central, state, district and block

Unit-III

1. Concept and forms of voluntary action
2. Importance of NGOs/CSOs action in social welfare
3. Role of Government in social welfare policies and programmes

Unit-IV

1. Governmental and voluntary organisations: the relative advantages and disadvantages
2. Central Social Welfare Board: Policies and programmes
3. Role of International organisations in welfare and development

Unit-V

1. Organisation of a voluntary welfare agency
2. Programme planning and development: Planning process in a social agency

Specialization (Group E): Women and Child Development

Paper I (Group E) Women's Welfare and Development (Part-I)

Unit-I

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Unit-II

1. [illegible]
2. [illegible]

Unit-III

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Unit-IV

1. Family planning, [illegible] programme in India.
2. [illegible]
3. [illegible]

Unit-V

1. [illegible]
2. [illegible]

Paper 2 (Group E) Child Welfare and Development (Part-I)

Unit-I

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Unit-II

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Unit-III

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Unit-IV

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Unit-V

1. [illegible]
2. [illegible]

Group A: Human Resource Management

(1) Labour Legislation

(2) Management of Industrial Relations

Group B: Medical and Psychiatric Social Work

(1) Rehabilitation and Social Work [illegible]

(2) Health Legislation, Policies and Programmes

Group C: Urban and Rural Community Development

(1) Development Management – Part-I

(2) Urban Community Development and Municipal Administration

Group D: Social Welfare Administration

(1) Social welfare in India Part-II

(2) Administration in Social Welfare Part-II

Group E: Women and Child Development

(1) Women's Welfare and Development Part-II

(2) Child Welfare and Development Part-II

MSW Course
4th Semester

Paper: 1 Social Development

Unit-I

1. Concept of social development and concept of social development
2. Dimensions and models of social development
3. Problems of Social Development in India
4. Social development alternatives and critical issues

Unit-II

1. Brief review of social development programs and problems in India's Five-year plan
2. Development of social services: Education, health and welfare services. Alternative models of social development

Unit-III

1. Development planning and its constituents. Directive Principles of State Policy and development as mentioned in the Constitution of India
2. Planning institutions and planning process. Role of elected bodies in development. Problems of planning in India

Unit-IV

1. Development administration: concept and focus
2. Problems and strategies of development administration
3. Poverty and its environmental and gender dimensions
4. Welfare, economic and social development

Unit-V

1. Role of international organisations in promoting social development
2. NGOs and social development
3. Gender strategies and trends in welfare development organisations
4. Social empowerment
5. Social Entrepreneurship: Concept and practice

Suggested Readings :

- Kulkarni, P.D. Social Policy and Development (Popular Publishing House, New Delhi-2001)
- Sidhu, B.S. and Dhu, B.K. Development Paradigms, Indian Development Experience, Crisis and Social Problems, New Delhi-2006
- [illegible]
- Kumar, B. Kumar, Vinay, Social Development and Sustainable Development (Regency Publications, New Delhi-2007)
- Rao, [illegible] Social Survey for Social Development, 1998
- Mishra Ramesh and Ratna Vir Gulhati (2000) Valley Penguin India, New Delhi-110017 (Social Aspects of Development, Concept Publications, New Delhi, 2001)
- [illegible] Delhi-1995
- Singhal, [illegible] Vikas Ka Arth Shastra, Sonu Ayaan (Rajesh Publishers Pvt. Ltd. New Delhi-1995) Kumar [illegible] Development Administration (Deep and Deep Publications, New Delhi-1995)
- Bhatt [illegible] Social Welfare Planning in India (Bhagirath, [illegible] 1976)
- Dhesi [illegible] Development in Welfare Change, Value and Cross Cultural Data

Or

Paper: 3 Computer Application in Social Sciences

Unit-I

1. Introduction to computer. Characteristics of computer. Introduction to computer hardware.
2. Memory units, Auxiliary storage devices, input devices, Output devices
3. Introduction to computer software. Introduction to computer languages
4. Programming languages
5. Machine, Assembly and high level languages
6. Types of high level languages
7. Impact of computer on society

Unit-II

1. MS Windows: Introduction to M.S. Windows, Features of Windows, various versions of Windows & its use, Working with Windows.
2. Office Packages: Office software and their utilities, vocabulary, Word processing, Spreadsheet, Presentation graphics, Database, Introduction and importance of various office suite like MSOffice, Lotus office, Star Office, Open Office etc. MS Word: Basic Introduction to MS Office, Introduction to MS Word, Features & uses of use.

Unit-III

1. MS Excel: Introduction and uses of use, Working with MS Excel, elements of Workbook & Worksheets, Using Wizards, Various Data Types, Filling different formats with Data, Cell and Text formats, Manipulating & Working of Columns & Rows, Working with Data & Ranges, Different Views of Worksheets, Colours, Freezing, Labels, Filling, Sorting etc., Using different formats with Data and Text.
2. Use of Formulas, Calculations & Functions, Cell Referencing (including Relative & Absolute), Working with Different Chart Types, Printing of Worksheet & Worksheets with various options.

Unit-IV

1. MS Powerpoint: Introduction & uses of use, Working with MS Powerpoint, Creating a New Presentation, Working with Presentations.
2. WORLD WIDE WEB (WWW) – Internet, Browsing, Web Browsers, Net Etiquette, URLs, hot sites, Browsing menus, Protocols, Concept of Search Engines, Search engines types, accessing the Web, Web Servers, TCP/IP and other main protocols used on the Web, E-Mail, Contents, PGP and WEB, Email, Email address, Benefits of Netiquette & Restrictions, E-mail Protocols, Mailing List, Join Email services, e-mail servers and email client programs.

Unit-V

1. Introduction to SPSS, Applications of SPSS software in social work and Social Science Research, Use of statistical packages, Use of various graphs and diagrams for the presentation of data
2. Practical: CASE
3. The candidates offering computer applications in social sciences will be expected to complete the practical work and assignments given in class. These assignments will be valid internally.

Paper: 2 Training and Development

Unit-I

1. Need of Training and Development in the social welfare sector
2. Conditions for learning
3. Problems in learning
4. Learning characteristics
5. Role and skills required for a trainer

Unit-II

1. Training System: Concept and components
2. Need for systems approach in training

Unit-III

- Identification of training needs
- Determination of training objectives

Unit-IV

1. Designing training sessions and learning sessions.
2. Lesson Plan, Course materials, Visual AIDS, Power Point, use and facilities, Different skills.
3. Training methodologies skill sets

Unit-V

1. Validation and Implementation of training
2. Evaluating effectiveness of learning: assessment methods

Suggested Readings

- Singh, JPC: Developing and Managing Human Resources: Chalkboard Publications, Bombay-1992.
- Sen, AK: Systems approach to Training and Development (Sterling Publications Pvt. Ltd, New Delhi 1991).
- Dayal, I: Management Training In Organisations (Prentice Hall Of India Pvt. Ltd, New Delhi 1989).
- Rao, Narayana, V: Handbook of Training and Development (TTK Publications, Madras 1992).
- Dixon, Nancy: Evaluation: A Tool for improving HRD Quality (Grand and Grand company, New Delhi 1990).

Specialization (Group A): Human Resource Management

Paper: I (Group A) Labour Legislations

Unit- I Introduction

1. Need and scope of Labour legislation
2. Labour administration at Central and State levels
3. Composition of Labour Legislations in J&K

Unit- II Wage Laws

1. Payment of Wages Act, 1936
2. Minimum Wages Act, 1948
3. Payment of Bonus Act, 1965

Unit -III Social Security Legislations

1. E.S.I. Act, 1948
2. Workmen's Compensation Act, 1923
3. Maternity Benefit Act, 1961
4. Employees Provident and Misc. Act, 1952
5. Payment of Gratuity Act, 1972

Unit- IV Legislations Regarding Working conditions

1. The Factories Act, 1948
2. The Mines Act, 1952
3. The Plantation Labour Act, 1951
4. Shops and Establishment Acts

Unit- V Legislation Regarding Industrial Relations

1. Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946
2. Indian Trade Union Act 1926
3. Industrial Disputes Act, 1947
4. Industrial Relations Act, 1961

Suggested Readings

- Simon MC: Labour Problems and Social Welfare. New Academic Publishers, Jullundhar (1972). Pillai MC: Labour and Industrial Laws (Modern Law Agency, Calcutta) 1980.
- Pre-M.C: Indian Labour Problems (Allahabad Law Agency, Allahabad 1983).
- Mamoria MC: Industrial Relations (Himalaya Publishing House, New Delhi 1981).
- Mishra SN: Labour Problems (Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi 1981). Mishra PC: Modern Law Studies (Lucknow Delhi).
- Bhagoliwal, TN and Bhagoliwal, Neelabh: Setup Jobs Shops Zone Industrial Sanitation and Safety Measures Agra 1983.

Paper-2 (Group A) Managing Industrial Relations

Unit-1. Industrial Relations

1. Introduction to Industrial Relations- Concept, Evolution, Principles, Key Actors
2. Nature and Importance of Industrial Relations in Industrial Development of India.
3. Dualistic Aspects of Industrial Relations – Industrial Co-operation and Conflict Industrial Conflict: Causes, Manifestations and Tracking of Industrial Conflict and Industrial Disputes, Strikes, Lockouts, Gheraos, Go-slow and other forms.

Unit-2. Mechanism for Preventing and Settling Industrial Disputes

1. Negotiation Meaning, Effective Negotiation, Communication Style, Bargaining deadlocks, Strategy and Tactics, Know Negotiation Plan, Closing Successfully, Bargaining, Collective Bargaining: Concept, Process, Subject matter, Legal and Psychological aspects of Collective bargaining, its advantages and limitations
2. Workers Participation and Management- Meaning, Objectives, and Various forms and levels, Critical evaluation of WPM/Participative Management Schemes in India
3. Objective approach to industrial relations: IGA, its structure and functions and Role in labour welfare and industrial development.
4. Methods for resolving Industrial Disputes: Conciliation, Advisory arbitration and Adjudication
5. Review of dispute settlement machinery in India

Unit-3. Trade Unionism

1. Growth and Development of Trade Unionism in India: Historical Perspective
2. Trade Union Movement: Types, and functions of Trade Union
3. Role of Unions in Job Security, Wage Determination, Workers Education, Productivity and Economic Development
4. Trade Unionism in new role in environment protection and Safety Promotion, Trade Unions and its interface with market and technology, Social responsibility of Trade unions.
5. Globalization and its impact on Human Global Economy, Labour Market and Protection Laws, Current issues in employee association and discipline, role of unions in Global economy, organisation-welfare and overall industrial development

Unit-4. HR Procedures

1. Managing Indiscipline, Discipline, Causes of Indiscipline, Disciplinary Actions and Promotion Equity Procedures, Drafting Disciplinary Action Letters- Show cause Notice, Charge Sheet, Principles of Natural Justice
2. Grievance Handling: Concept of Grievance, Causes, Sources of Grievance, Need of Grievance Procedure, model grievance procedure

3. Communication and Counselling: Introduction to communication, Principles and Characteristics of effective Communication, Situations, Role of PH Manager in promoting and managing health, HR, Social Work Intervention in Industry
4. Social Aspects in Industry: Social responsibility of Organization, Environment, Philosophy, Principles, CSR, Developmental process, Goals and Implementation, Critical analysis of CSR approach, Role of Social Workers HR, Professionals in fulfilling Industry discharge to Social Obligations, Ethical aspects in CSR projects, Social Auditing.

Unit 5: Organizational Behaviour

1. Group Behaviour and Team work: Introduction of Group dynamics, Group development and Cohesiveness, Group Performance and Decision making, Intergroup Relations, Teams in Organizations, Effective Team Performance
2. Leadership: Meaning and Characteristics, Types of Leadership, Traits of Effective Leadership, Impact of effective leadership in Organizations
3. Total Quality Management—Meaning of Quality— Orientation to Customer Satisfaction and Scope of TQM and TQC, benefits and complete benefits of TQM, TQM framework Issues, Total Employee Involvement, 5S Concept
4. Job Satisfaction, Motivation and Morale

Recommended Readings

- Arnold and Feldman: Organizational Behaviour (My Lines Hill Co., New Delhi-1982)
- Blum M. Industrial Management and Industrial relations (Sing and Dang Publications, New Delhi-1968)
- Goel Mithu: Management Training in Organisation (Pearson JMR) (E-IIDM Pvt Ltd. (2010)
- Oxford HR: Management of Human Resource (Oxford and IBH Publishing Co. New Delhi-1982)
- Flippo E.B. Principles of Personnel Management (MC Graw Hill Book Company, New York, 1980)
- Lal Das: MC Personnel Management, Industrial relations and Labour welfare (OK Publishers, Agra-1987)
- Mathema C.B. Dynamics (Bonus Declaration, Factory Bhawan, Agra (1976)
- Pareek U.P. and Gupthar Subhash [Indian Industrial Relations (Oxford Publishing House, Bombay-1981)
- Singh PN: Developing and Managing Human Resource (Deshmukh Publications, [illegible])
- Subramanian KN: Labour Management Relations in India (Asia Publishing House, Bombay-1982)
- Varma Pushpa and Mishra, Rajiv: New Course in India (Oxford and IBH Publishing House New Delhi)
- [illegible]
- Weihrich PC & Koontz M: Principles of Management (Tata McGraw Hill Publishing Company Limited, New
- Delhi-1993)

Specialization (Group B): Medical and Psychiatric Social Work

Paper 3: (Group B): Rehabilitation and Social Work Intervention

Unit I – Hospital Social Work

1. Scope to Practice in Hospital Social Work
2. Duties and Responsibilities of Hospital Social Worker
3. Functions of Hospital Social Worker
4. Skills of Hospital Social Worker
5. Role of Hospital Social Worker

Unit II – Psycho Social Rehabilitation

1. Psycho Social Rehabilitation: Meaning, History
2. Scope and Objectives of Psycho Social Rehabilitation
3. Aims of Psycho Social Rehabilitation
4. Principles of Psycho Social Rehabilitation
5. Role of Social Worker in Rehabilitation Facilities

Unit III – Rehabilitation and De-addiction Programmes

1. Twelve Step Program
2. Alcoholic Drug Anonymous Group
3. Health Support Group: Formation, Benefits and Risk
4. The Recovery Model: Meaning, Characteristics and Principles

Unit IV – Psychotherapies – I

1. Client Centered Therapy
2. Psychoanalytical Psychotherapy
3. Behaviour Therapy
4. Cognitive Therapy

Unit V – Psychotherapies – II

1. Family Therapy
2. Group therapy
3. Human Growth Hr. Therapy
4. Psychodrama, Gestalt Therapy, Transactional Analysis etc.

Recommended Books:

- [illegible] (2005). Psychiatric Social Work: The Common Health Fund, New York, [illegible]
- Pathak, S. H. (1981). Medical Social Work. Delhi: School of Social Work.
- Verma, R. (2000). Psychiatric Social Work in India. Gyan Publishers, New Delhi, (2000).
- Carson, D. C. Butcher, J. N. and Mineka, S. – Abnormal Psychology and Modern Life (Longman, New York, 1996)
- Tallman, C.A. Beard, R.R. – Textbook of Psychiatry – The American Psychiatric Press (Jaypee Brothers, Delhi) [illegible]
- Hamilton, G. R. – Social Service Organization: Its Organization and Principles (CBS, Bombay)
- World Health Organization, W.H.O. (1974) PHN, New Delhi (1974)
- Gerald M. Gill, Jr – Oxford Textbook of Psychiatry, Oxford University Press (London) (1991)

Paper 2: (Group B): Health Legislations, Policies and Programme

Unit I – Health Policy and Programme

1. Allied Services for Health: A Development Goals
2. The Transplantation of Human Organ and Tissues Act 1994 and Amendment Act 2011
3. The Transplantation of Human Organ (Amendment) Act 2011
4. NOTTO and NOOTR: Introduction, Functions

Unit II – Health Legislation - I

1. The Medical Termination of Pregnancy Act 1971
2. MTP Rules and Regulation 2003
3. The Pre Conception and Pre Natal Diagnostic techniques Act 1994
4. The Protection of Human Right Act 1993

Unit III – Health Legislation - II

1. The Bio Medical Waste management and handling Rule 1998
2. The Rights of Persons with Disability Act 2016
3. Rehabilitation Council of India Act - 1992
4. National Trust Act - 1999

Unit IV – Pandemics and Health programmes

1. World History of Pandemics
2. AIDS, HIV & Outreach
3. National Emergency Preparedness Plan - Disaster Management
4. National Health Policy in India - 2017
5. Health Care Schemes, Programs and Projects in India

Unit V – Mental Health Legislation and Administration

1. The Mental Healthcare Act - 2017
2. Community Psychiatry - History, Principle, Forms and Programs in Community Mental Health
3. School Health Program: Need & Organization of Health Programs in School
4. MPSW Department in Hospitals: Need, Structure and Administration

Reading

- Pandey, S. M. : Psychiatric Social Work, The Concept Publication, New Delhi, 2000
- Sadhu, P.N. : Medical Social Work, Delhi School of Social Work
- Verma, R. : Psychiatric Social Work in India, Sage Publication, New Delhi, 2011
- Dhyani, B.C. Sharma, S.C. and Mishra, S. : Advanced Psychiatric and Medical Social Work, New Delhi, 1996
- Sahoo, J.A. Mishra, S.C. : Textbook of Psychiatric, The Jeevan Vidhyalaya Press, Cuttack Odisha, Cuttack
- Sharma, S.K. : Mental Health Management, Development and Welfare, CBS, Delhi
- World Health Organization, ICD-10 (WHO, New Delhi)
- Gowal, M. Gaba, S. : Office Practitioner of Psychiatry, Oxford University Press, London, 1995

Specialization (Group C): Urban and Rural Community Development

Paper-I (Group C) Development Management Part-II

Unit-I Manpower planning

1. Strategies
2. Objective
3. Planning and Selection
4. Performance appraisal and promotion interview

Unit-II Training and development

1. Training and Development
2. Career development and career planning
3. Compensation and reward
4. Organizational development techniques

Unit-III Communication theories and practices

1. Organizational communication
2. Factors affecting communication of messages
3. Communication processes adopted for extension activities

Unit-IV Project planning and logical framework analysis

1. Goal setting, formulation of objectives, identification of strategies and activities
2. Monitoring and evaluation of programs

Unit-V SWOTT analysis for development organizations

1. Strategy development and strategy implementation
2. Organizational effectiveness through quality building

Suggested Readings:

- Gordon P. Sleezynski, Human Resource Management in Public Organizations (Prentice Hall Publications, New Delhi 2001)
- Jerry Hedges, Community Managing Human Services Organizations (Sage Publications, New Delhi 2001)
- Filipo Obi, Traditional Personnel Management (McGraw Hill Book Co. New York 1996)
- Lathans Fred, Organizational Behavior (McGraw Hill, New Delhi, 1997)
- Pareek Udai, Managing for Organizational Roles (Rabat Publications, Jaipur, 1996)
- Robert P. Stoner, Organizational Behavior (Prentice Hall of India, New Delhi 2000)
- Pareek, Wendell, Organizational Development (Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 2000)
- Rao, T.V. Readings in Human Resource Development (Oxford and IBH, New Delhi 1991)
- Seiler, Anne, and Robert K. Cooper, Reliability and Measuring Organizations for Transition (Sage Publications, New Delhi 2001)
- Rosenbloom David Rosy, O.V. Organizational Development (Sage Publications, New Delhi 1998)

Paper: 2 (Group: C) Urban Community Development and Municipal Administration

Unit-I Urban Community

1. Definition, Meaning and Characteristics of urban community
2. Pattern of Urban Growth in India
3. Urban slums – Growth, Causes and effect on urban life

Unit-2 Factors leading to change and their impact on urban community

1. Urbanization, Industrialization and Migration
2. Influence of Globalization, Privatization & Liberalization
3. Problems of urban community – Housing, Health, Pollution, Waste Disposal & sanitation, Population, Education, Prostitution and Child labour

Unit-III Urban Community Development

1. Need, concept and approaches
2. Urban development policies and programmes of Government of India
3. Role of Distinct Urban Development Agencies
4. Role of Development Authorities and other bodies (town and country Planning, Building Bodies, Blue Cross, Rural) in Urban Development

Unit-IV Municipal Administration

1. History of Urban Local Self Governance in India
2. Types of Urban Local Self Governance in India – Municipal Corporation, Municipal Council, Nagar Panchayat
3. Sources of Revenue to Urban Local Self Governance
4. State Commissions and recent jurisprudence
5. Functions and Types of Urban Local Bodies

Unit-V 74th Amendment of Constitution and its implications

1. 74th Constitutional Amendments: Review of contents and implications
2. Contemporary issues and Potentiality of Local Self Governance
3. Urban Development Programme and Role of Local Self Government
4. Problems of Municipal Administration in India

Suggested Readings

- Clyde Murdoch: *Community Development* (The Free Press, New York 1957)
- Siddiqui HY: *Working with Communities* (Hira Publications, New Delhi -1997)
- Dasgupta SD: *Working With Communities in Group and Local Level* (Hira Publications, New Delhi 2001)
- Gaur Gop Pal and Arora Hemant: *Asset Building and Community Development* (Hira Publications, New Delhi 2001)
- Alka Sonkawade Patil: *Community Organization and Development* (PHI Learning Private Limited, New Delhi [Uttar], India -2011)
- Surendra Singh (Chief Editor): *Encyclopedia of Social work in India*, New Royal Book Company, Lucknow 2011(2)
- Dhillipaty Jaab: *Urban Community Development*, Sarup & Sons, Delhi 2002
- Nitish Chakraborty: *Social Movements and the State*, Sage Publications, New Delhi 2009
- Pawa Marwa: *Municipal City Governance in Urban Orissa*, Publications, New Delhi India

Specialization (Group D): Social Welfare Administration

Paper-I (Group D): Social Welfare in India (Part-II)

Unit-I

1. Legislative measures for the development of backward classes: Untouchability, abolition of bonded labour system, and minimum wages for the agricultural labour
2. Problems of small and marginal farmers and landless agriculture labourers, Development programmes for the small and marginal farmers

Unit-II

1. Problems of women and children in India
2. Policies, programmes and services for the welfare of women and children in India
3. Family welfare programmes and services

Unit-III

1. Child rights: UN Convention on CRC, JJ Act
2. Social defence measures in India, programmes and services
3. Correctional administration in India: problems and measures

Unit-IV

1. Problems of the disabled groups and aged in India
2. Policies and legislations for the disabled groups and aged
3. Welfare programmes and services for the disabled groups and aged in India

Unit-V

1. Institutional and non-institutional services for the disabled groups and aged: problems and prospects
2. Concept of rehabilitation and effectiveness of the prison services for rehabilitation
3. Concept of alternative care in corrections

Paper-2 (Group D): Administration of Social Welfare (Part-II)

Unit-I

1. Project formulation and implementation
2. Budgeting and accounting in social welfare agencies: Resource mobilization

Unit-II

1. Organizational planning and innovations
2. Nature of organizational behavior
3. Organizational structure in social welfare agency

Unit-III

1. Personnel policies and administration: recruitment, selection, training, promotion etc. Expert advice and staff development
2. Group work strategies in social welfare agencies

Unit-IV

1. Concept and importance of management, Management planning
2. Office management procedures

Unit-V

1. Reporting and public relations
2. Coordination, reporting and supervision: Monitoring and evaluation in social welfare agencies

Specialization (Group F): Women and Child Welfare

Paper-I (Group F): Women's Welfare and Development Part-II

Unit-I

1. Anti-dowry laws, domestic violence, sexual harassment, female infanticide and feticide and sex ratio. Theory of violence against women. Theoretical perspectives and approach. Psycho-pathological, socio, socio-psychological, socio-legal and socio-cultural factors.
2. Gender discrimination: causes and remedies

Unit-II

1. Nature of family organization, changing role and status of women and future. Affective functions of family. Approaches to the study of family
2. Family life cycle and development tasks

Unit-III

1. Family life education: Female disharmony and counselling
2. Changing patterns of marriage and its consequences

Unit-IV

1. Schemes relating to women's welfare and development
2. Programmes relating to women's welfare and empowerment, health, nutrition, training, employment etc. Constitutional provisions and legislative measures for women welfare.

Unit-V

1. Organization of women and international agencies in areas of women's welfare
2. Social work intervention for women's welfare. Strategies and responsibilities. Women's participation for welfare and empowerment

Paper: 2 (Group F): Child Welfare and Development (Part-II)

Unit-I

1. International action regarding minimum age for admission to employment
2. Adoption, legislative measures and services
3. Prevention of child marriage: Legislative and other measures

Unit-II

1. Maternal and child health: medical care for the mother, child, adolescent and convalescent
2. Mental health and care: Aspect of child guidance services
3. Evaluation of child welfare programmes in pre-medical Adaptations

Unit-III

1. Role of central Social Welfare Board, Indian council of Child Welfare and Government in the development of welfare services
2. Role of national and international organizations in providing child welfare services. Child welfare services: Institutional and non-institutional

Unit-IV

1. Play-room class and developmental services for children
2. Integrated approach to child development and early childhood care
3. Integrated child development scheme: Philosophy, aims and administration
4. ICDS: Programme in Urban and Rural Sectors

Unit-V

1. ICDS Programme components: Child Development Programme in Urban Slum Settings
2. Child Labour: Measures in India

(3) पद - फार्मासिस्ट ग्रेड-2

PHARMACEUTICS

Introduction to different dosage forms, their classification with examples-their relative applications. Familiarization with new drug delivery systems. Introduction to Pharmacopoeias with special reference to the Indian Pharmacopoeia. Size reduction, Size separation. Metrology-system of weights and measures. Calculations including conversion from one to another system. Percentage calculations and adjustment of products. Use of alligation method in calculations. Isotonic solutions. Mixing and homogenization. Packaging of pharmaceuticals Extraction and galenicals, Clarification and filtration. Heat processes. Introduction to drying processes. Distillation. Sterilization-concept of sterilization and its differences from disinfection-thermal resistance of microorganisms. Detailed study different sterilization processes. Study of immunological products like sera, vaccines, toxoids and their preparations. Processing of tablets. Processing of capsules.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY

Acids, bases and buffers. Gastrointestinal agents. Acidifying agents, Antacids. Protectives and adsorbents, Saline cathartics. Antioxidants. Topical agents – (i) Protectives (ii) Antimicrobials and astringents (iii) Sulphur and its compounds (iv) Astringents-alum and zinc sulphate. Dental product, Inhalants, Respiratory stimulants. Expectorants and emetics, Antidotes. Major intra and extracellular electrolytes, inorganic official compounds of iron, iodine and calcium, ferrous sulfate and calcium gluconate. Radio pharmaceuticals and contrast media radioactivity, identification tests for cations and anions as per Indian Pharmacopoeia. Quality control of drugs and pharmaceuticals.

PHARMACOGNOSY

Definition, history and scope of pharmacognosy including indigenous system of medicine. Various systems of classification of drugs of natural origin. Adulteration and drug evaluation; significance of pharmacopoeial standards. therapeutic effects and pharmaceutical applications of alkaloids, terpenoids, glycosides, volatile oils, tannins and resins. Occurrence, distribution, organoleptic evaluation, chemical constituents including tests wherever applicable and therapeutic efficacy of (a) Laxatives (b) Cardiotonics (c) Carminatives & G.I.regulators catechu, hyoscyamus, belladonna, aconite, ashwagandha, ephedra, opium, cannabis, nux vomica, rauwolfia, vasaka, tolu balsam, tulsi, guggal, colchicum, vinca, chaulmoogra oil, pterocarpus, gymnema sylvestre, gokhru, punarnava, ipecacuanha, benzoin, myrrh,
neem, curcuma, cinchona, ergot, shark liver oil and amla, papaya, diastase, yeast. Collection and preparation of crude drugs from the market as exemplified by ergot, opium, rauwolfia, digitalis, senna. Study of source, preparation and identification of fibres used in sutures and surgical dressings-cotton, silk, wool and regenerated fibres.

BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY

Introduction to biochemistry. Brief chemistry and role of carbohydrates, proteins, lipids, their classification and related diseases. Role of minerals and water in life processes. Brief chemistry and role of vitamins and coenzymes, brief concept of enzymatic. Introduction to pathology of blood and urine.

HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

Definition of various terms used in anatomy, physiology, Structure of cell, function of its components with special reference to mitochondria and microsomes. Elementary tissues of the body. Composition of blood, blood group and coagulation of blood. Name and functions of lymph glands. Anatomy and physiology of different body systems in Brief.

HEALTH EDUCATION & COMMUNITY PHARMACY

Concept of health-definition, indicators of health, concept of disease, prevention of diseases. Environment and health. First aid-emergency treatment in shock, snake bite, burns, poisoning, heart disease, fractures and resuscitation methods. Elements of minor surgery and dressings. Fundamental principles of microbiology, organisms of common diseases. Non-communicable diseases-causative agents, prevention, care and control. Cancer, diabetes, blindness, cardiovascular diseases. Communicable disease-causative agents, modes of transmission and prevention, (a) Respiratory infections-chicken pox, measles, influenza, diptheria, whooping cough and tuberculosis. (b) Intestinal infections-poliomyelitis, hepatitis, cholera, typhoid, food poisoning, hookworm infection. (c) Arthropod borne infections-plague, malaria, filariasis. (d) Surface infections-rabies, trachoma, tetanus, leprosy. (e) Sexually transmitted diseases-syphilis, gonorrhoea, AIDS. Nutrition and health, vitamins and minerals. Demography and family planning, natural family planning methods, chemical methods, mechanical methods, hormonal, contraceptives, population problem of India. Epidemiology - Immunity and immunisation, immunological products and their dose schedule. Principles of disease control and prevention, hospital acquired infection, prevention and control.

DISPENSING PHARMACY

Prescriptions: Reading and understanding of prescription, Incompatibilities in prescriptions. Posology. Dose and dosage of drugs. Dispensed Medications: (i) Powders (ii) Liquid oral dosage (b) Biphasic liquid dosage forms: • Suspensions • Emulsions (iii) Dental and cosmetic preparations: (iv) Semi-solid dosage forms: (a) Ointments (iv) emulsification. (v) Sterile dosage forms: (a) Parenteral dosage forms (b) Sterility testing. (c) Ophthalmic products- study of essential characteristics of different ophthalmic preparations.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II

Chemistry of pharmaceutical organic compounds covering their nomenclature, chemical structure, uses and the important physical and chemical properties. The stability and storage conditions and the different types of pharmaceutical formulations of the drugs.

Pharmacology and Toxicology

Introduction to pharmacology, scope of pharmacology. Routes of administration of drugs, their advantages and disadvantages. Various processes of absorption of drugs and the factors affecting them. Metabolism, distribution and excretion of drugs. General mechanism of drugs action and the factors which modify drugs action. Pharmacological classification of drugs. (i) Drugs acting on the central nervous system: (a) General anaesthetics, Intravenous anesthetics. (b) Analgesic, antipyritic, sedatives and hypnotics, anti-convulsants. (ii) Local anaesthetics. (iii) Drugs acting on autonomic nervous system. (iv) Drugs acting one eye. (v) Drugs acting on respiratory system (vi) Antacids. (vii) Cardiovascular drugs. (viii) Drugs acting on the blood and blood forming organs. (ix) Drugs affecting renal function (x) Hormones and hormone antagonists (xi) Drugs acting on digestive system

Pharmaceutical Jurisprudence

(4) नेत्र - नेत्र सहायक

Anatomy and Physiology

Human Anatomy with special reference to special senses. Organs of special senses. Parts Orbit and ocular adnexa (lids & lacrimal system). Ocular muscles & cranial nerves. Gross anatomy of coats of eye ball (Cornea, Sclera Uvea, retina, lens & Vitreous).

Physiology of the Eye Ball: -

Physiology of vision including colour vision. Ocular movements & Binocular Vision. Accommodation & convergence. Formation & circulation of aqueous & lacrimal fluids.

Physics & Optics:

Law of refraction & reflection spherical & cylindrical surfaces. Optical aberrations of ophthalmic glasses.Prisms (a) Nomenclature (b) Uses.

Microbiology:

Introduction to the various organisms responsible for ocular diseases (Bacteria,virus & fungi). Technique of conjunctival smears, cultures, stroppings & staining (Gram's & KOH). Infections & its prevention-routes, cross infection antisepsis & asepsis.

Clinical Pathology:

Examination of urine - Gross albumin & sugar. Preparation & staining of blood slides for DLC and malarial parasite.

Pharmacy:

Various methods of Administration of drugs in ophthalmic diseases. Preparation and dispensing of various ophthalmic drugs including fluorescence, Mercurochrome, sodium sulphacetamide, homatropine, atropine pilocarpine & antibiotic drops. Various side reaction of common ophthalmic drugs & drug abuses. Anaesthetics & Antibiotics and acetazolamide, Miotics & Mydriatics.

Vision Testing:

Various components of vision, principles of testing for visual acuity.

Geometrical & Physiological Optics:

Optics of human eye and refractive errors. Myopia, hypermetropia & its correction. Aphakia its correction. Astigmatism. Presbyopia & its correction. Ophthalmic Lenses. Contact Lenses-uses and abuses. Checking of spectacles. Protective glasses & L.V.A.

Retinoscopy & Subjective Testing:

Visual Fields:

Common Eye Diseases:

Types of conjunctivitis including trachoma. Corneal ulcers & opacities. Iritis & cataract. Lids & lacrimal sac. And eye emergencies. Chemical & radiational injuries including prevention, first aid & treatment. Mechanical injuries, prevention first & treatment.

Glaucoma:

Squint:

Systemic Disorders:

Diabetes & hypertension.

Nursing care of Ophthalmic Patients:

Ophthalmic Instruments:

Ocular Surgery, Fundamentals of Asepsis Technique:

Ophthalmic Diagnosis Equipment (Maintenance):

Minor Surgical Procedures:

Emergency Resuscitation: General & Ophthalmic.
Medical Records: Diseases index, alphabetic index, and numerical index major & minor surgical records.

Health Education:

National Plan for Control of Blindness. Screening of School children for eye problems.-Survey methodology. Rehabilitation of blind & vocational training for blind. Role of Ophthalmic Assistants in eye camps.

Training at Mobile Ophthalmic Unit, Organization of Eye camps. Publicity technique. Arrangements of OPD at camps. Arrangements of refraction of camps. Arrangements operation theatre at camps. Arrangements of wards at camps. Arrangements of sanitation and illumination at camp. Arrangements of catering at camps. Arrangements of exhibition at camp. Public relation with voluntary organization. Interaction with volunteer. Health education - General & Ophthalmic. Survey in Schools & Sub-Health Centres.

Pre-operative preparation of patient in camp. Anaesthesia & Akinesia. Dispensing & Preparation of drops. Eye dressing & bandaging including preparation of dressing trolley. Role of Ophthalmic Assistant in O.T. Sterilization, carbolization & Fumigation. Follow up instructions to patients & follow up visit. Eye Health education.

Ocular Emergencies:

Injuries of the eye including F.B.'s. Acute glaucoma. Causes of sudden blindness.

(5) पद - O.T. TECHNICIAN

1. Introduction to surgery and basic surgical procedures.
2. Sterilization of equipment and O.T. (Aphasia, Antisepsis & Fumigation.) & O.T. hygiene.
3. Surgical infection in O.T. & prevention anti Microbial therapy.
4. Fluids & electrolytes & intra venous fluids & setting up of IV line & Eletransfuise.
5. Shifting of O.T. patients (Pre & Post op.) Sp. trauma patients.
6. Various surgical instrument.
7. Maintenance & care of general & special surgical instruments & equipments.
8. Pre-Op requirements (case papers, Pt. identification, consent, pre-op instruments).
9. Positioning of patient for special surgical procedures.
10. Control of Hemorrhage & resusaration.
11. O.T. illumination.
12. Preparation of surgical field.
13. Assisting at operation & setting up of instrument trolley.
    (a) Gen. surgery.
    (b) Uri. Surgery.
    (c) Gastrointestinal surgery.
    (d) Neurosurgery.
    (e) Cardiovascular surgery.
    (f) Orthopedic surgery.
    (g) E.N.T surgery.
    (h) Gynaelogical & Obstetric surgery.
14. Surgical sutures.
15. Collection of specimens.
16. Dressing material & their application.
17. Waste disposal.

प्रारूप-1

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम : _____
2. परीक्षा की तिथि/पाली/समय : _____
3. परीक्षा केन्द्र का नाम : _____
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) : _____
   (जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) : _____
6. परीक्षार्थी का रोल न. : _____
7. बैंक का नाम : _____
8. बैंक शाखा का नाम : _____
9. बैंक का IFS Code : _____
10. बैंक खाता क्रमांक : _____
11. परीक्षार्थी गृह जिला : _____
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी : _____
13. यात्रा का प्रकार : _____
14. यात्रा व्यय की राशि : _____
15. पत्र व्यवहार का पता : _____
16. ई-मेल : _____
17. फोन न. : _____

संलग्न :-

1. बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. डीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक: _____

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

_____

प्रारूप-2

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

परीक्षा का नाम :- मंत्रालयालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक एवं ओ.टी. टेक्नीशियन पदों की भरती परीक्षा – 2025

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करें

1. आवेदक का नाम :- .....
2. पिता का नाम :- .....
3. माता का नाम :- .....
4. लिंग (पुरुष/महिला) :- .....
5. जन्मतिथि :- .....
6. आदिम जनजाति का नाम :- .....
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :- .....
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :- .....
9. कार्यअनुभव का विवरण :- .....
10. विशेष/अन्य विवरण :- .....
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नम्बर:- .....
12. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:- .....
13. पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प(नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार) :-

क्र.क्र.	विभाग का नाम	पदनाम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

* पृथक-पृथक विभागों के पदों के लिए पृथक-पृथक संबंधित विभाग को आवेदन किया जाना होगा।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :- .....

दिनांक :- .....

निवास का पता :- .....

.....

मोबाईल/दूरभाष नं. :- .....